उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण "उरेडा" देहरादून

सूचना अधिकार अधिनयम- **2005**

मैनुअल

संख्या - **05**

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख ।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निवर्हन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	62
2	सौर ऊर्जा (सोलर थर्मल) से सम्बन्धित नीतियाँ एवं दिशा-निर्देश।	63-69
3	बायो ऊर्जा/ग्रामीण ऊर्जा तकनीकी कार्यक्रम से सम्बन्धित नीतियाँ एंव दिशा-निर्देश।	70-84
4	जल विद्युत ऊर्जा से सम्बन्धित नीतियाँ एवं दिशा-निर्देश।	85-96

भाग - 2

5	सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित उपयोगी जानकारी।	97-99

5. अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम**,** विनियम**,** अनुदेश**,** निर्देशिका और अभिलेख ।

उरेडा के अधिकारी एवं उसके कर्मियों द्वारा उनके कृत्यों निर्वहन हेतु उरेडा द्वारा सेवा नियमावली विहित की गई है, जिसमें सेवा शर्ते, नियम/विनियम हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से जारी नियम/विनियम उरेडा में लागू होते हैं। वित्तीय नियमों हेतु उरेडा में "परचेज रूल्स" बनाई जा रही है इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जारी की गई वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के नियम उरेडा में लागू हैं। इसके साथ ही उरेडा द्वारा कर्मियों को समय-समय पर अनुदेश/निर्देश निर्गत किये जाते हैं। उरेडा की सेवा नियमावली संलग्न है।

1. उरेडा सेवा नियमावली-2004

अभिलेख का नाम- उरेडा सेवा नियमावली 2004 अभिलेख का प्रकार- पुस्तिका

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय- उरेडा सेवा नियमावली 2004 में उरेडा म सृजित पदों का विवरण, पदों को भरने की प्रक्रिया, कार्मिकों को अनुमन्य सुविधाओं, कार्मिकों की सेवा शर्ते, विभागीय कार्यवाही की व्यवस्था आदि के संबंध में नियम बनाये गये हैं।

सेवा नियमावली की अनुमन्यता- पता- उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, राज्य स्तरीय
ऊर्जा पार्क परिसर, पटेल नगर, देहरादून।
दुरभाष - 2521386, 2521387
फैक्स- 2521553

सेवा नियमावली अभिलेख की प्रति प्राप्त करने हेतु शुल्क का निर्धारण लोक सूचना अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

2. वित्तीय हस्तपुस्तिका

अभिलेख का नाम- वित्तीय हस्तपुस्तिका अभिलेख का प्रकार- पुस्तिका

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय- शासन द्वारा धन के आहरण एवं वितरण हेतु नियमावली विहित की गई है।

3. शासनादेश

अभिलेख का नाम- विभिन्न शासनादेश अभिलेख का प्रकार- पत्र

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय- शासन द्वारा समय-समय पर धन के आहरण वितरण, कार्मिकों की सेवा शर्तो, योजनाओं, अनुदान, नियम, विनियमों के संबंध में निर्णय/आदेश जारी किये जाते हैं।

शासनादेश की अनुमन्यता- संबंधित शासनादेशों की प्रतियॉ उरेडा में उपलब्ध हैं।

उरेडा की सेवा नियमावली, विभिन्न संयत्रों के तकनीकी मानकों के निर्धारण हेतु अनुबंधों, मैमोरण्डम आफ ऐसोसिएसन की प्रतियॉ संलग्न हैं।

वर्ष **2007-2008** के अन्तर्गत अनुमादित योजनाओं की वित्तीय/भौतिक प्रगति ।

सोलर थर्मल

(अ) डिश टाईप सोलर कुकर

इस योजना में कुल रू0 11.50 लाख का बजट जिला योजना में स्वीकृत हुआ इसके सापेक्ष कुल 215 नं0 डिश टाईप सोलर कुकरों का भौतिक लक्ष्य निर्धारित था। निर्धारित लक्ष्यं की शत-प्रतिशत पूर्ति कर सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग किया गया है।

(ब) सोलर वाटर हीटर

(1) विभिन्न जनपदों की जिला योजना में कुल रू0 27.20 लाख का बजट जिला योजना में स्वीकृत था इसके सापेक्ष 9400 लीटर प्रतिदिन क्षमता के संयंत्रों का भौतिक लक्ष्य निर्धारित है इसके सापेक्ष 9400 लीटर प्रतिदिन क्षमता के संयंत्रों की स्थापना एवं कुल रू0 27.20 लाख का उपभोग किया गया है।

(2) सोलर वाटर हीटर संयंत्रों की स्थापना पर लाभार्थी को राज्य बजट से राज्य सहायता दिये जाने की योजना 01 जनवरी,2008 के पश्चात स्थपित संयंत्रों पर दिये जाने की योजना है। इस हेतु रूपये 29.66 लाख का बजट माह मार्च,2008 में स्वीकृत हुआ है। इससमें से रू0 3.60 लाख की धनराशि गत वर्ष सोलर थर्मल मद में जिलायोजनार्गत व्यय हो चुकी धनराशि को समायोजित की गई है एवं अवशेष रू0 26.06 लाख का उपभोग स्थापित संयंत्रों के लिए अनुमन्य राज्य सहायता म करनें की कार्यवाही प्रगति पर है।

(स) सोलर ड्रायर

जनपद हरिद्वार में जिला योजनान्तर्गत 03.90 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष माह मार्च, 2008 में धनराशि रू0 03.50 बजट माह मार्च,2008 में स्वीकृत हुआ है। जिसके सापेक्ष संयंत्रों हेतु जिलाधिकारी हरिद्वार से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में जिला योजना से अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 04 नं0 सोलर ड्रायर की स्थापना की गई है।

वर्ष **2008-2009** के अन्तर्गत अनुमादित योजनाओं की वित्तीय/भौतिक प्रगति ।

1- **(अ) डिश टाईप सोलर कुकर-** ऐसे विद्यालयों का चयन किया जाय जिनमें सोलर कुकर से खाना बनाने हेतु पर्याप्त धूप आती हो एवं सोलर कुकर स्थापना हेतु प्र्याप्त उपयुक्त स्थल उपलब्ध हो।

2- एक कुकर से **05** लीटर क्षमता के प्रे8ार कुकर में भोजन तैयार किया जाता है एवं सामान्य परिस्थितियों में एक कुकर से एक से अधिक व्यंजन नहीं तैयार किया जा सकता। इस प्रकार प्रति विद्यालय छात्र संख्या के दृष्टिगत ही वहॉ मध्याहन भोजन तैयार करने हेतु आवश्यक सोलर कुकर की संख्या का निर्धारण करें। यहॉ यह भी सूनि8चत कर लें कि विद्यालय में वांछित सोलर कुकर हेतु उपयुक्त स्थल उपलब्ध है। इसमें प्रयास यह होना चाहिए कि कम छात्र संख्या वाले अधिक विद्यालयों का चयन किया जा सके, जिससे कार्यक्रम का अधिक से अधिक प्रचार हो।

3- एस.सी.पी. के अर्न्तगत प्राविधानित धनराशी के सापेक्ष निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष संयत्रों की स्थापना उन्ही विद्यालयों में की जाय, जहां समबन्धित श्रेणी के छात्रों की बहुलता हो एवं इस बिन्दु पर जिला शिक्षा अधिकारी की स्पष्ट संस्तुति के अनुरूप कार्यवाही की जाय।

4- प्रत्येक चयनित विद्यालय में सोलर कुकर एवं वैकल्पिक ऊर्जा से समबन्धित प्रचार सामग्री लिखने हेतु लगभग 8* x 6* का स्थल दीवार पर उपलब्ध हो जहां पर छात्र/विद्यालय के आगन्तुक इसे पढ सकें एवं कार्यक्रम का व्यापक प्रचार हो सके।

<u>बाक्स टाईप सोलर कुकर कार्यक्रम हेतु दिशा-निर्देश</u>

वित्तीय वर्ष 2008-09 में सोलर कुकर का विक्रय निम्नानुसार दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा :-

1. सोलर कुकर परियोजना कार्यालयों, डीलर नेटवर्क, स्वरोजगार कार्यकर्ताओं एवं आदित्य सोलर भाप/सोलर काउन्टर के माध्यम से विक्रय किए जायेंगे।
2. वरिष्ठ परियोजना अधिकारियों/परियोजना अधिकारियों/प्रभारी द्वारा इसके अतिरिक्त जनपद के मुख्य शहरों में दुकानों को डीलर के रूप चयनित कर उनका समन्वय आदित्य सोलर भाप के साथ कराकर, डीलर नेटवर्क के माध्यम से भी कुकर्स विक्रय किए जा सकते हैं।
3. सोलर कुकर्स का विक्रय स्वरोजगार कार्यकर्ताओं के माध्यम से कराये जाने के अधिकाधिक प्रयास किए जायेंगे, जिसके लिए स्थानीय स्तर पर इच्छुक बेरोजगार युवकों को सम्मिलित किया जायेगा। स्वरोजगार कार्यकर्ता द्वारा लोगों को सोलर कुकर की जानकारी प्रदान करते हुए इच्छुक लोगों को सोलर कुकर बुकिंग कराते हुए परियोजना कार्यालय के माध्यम से उन्हें सोलर कुकर्स दिलवाये जायेंगे। बी0आई0एस0 मार्क अथवा रीजनल टैस्टिंग सेन्टर से प्रमाण-पत्र प्राप्त सोलर कुकर्स पर डीलर नेटवर्क के माध्यम से विक्रय पर रू0 50/- प्रति कुकर एवं स्वरोजगार कार्यकर्ता के माध्यम से सोलर कुकर विक्रय पर रू0 100/- प्रति कुकर की दर से प्रोत्साहन धनराशी उरेडा द्वारा दी जायेगी, परन्तु एक कुकर पर एक ही प्रकार का इन्सेन्टिव देय होगा।
4. डीलर नेटवर्क अथवा स्वरोजगार कार्यकर्ताओं के माध्यम से सीधे विक्रय सोलर कुकर्स का शत्त-प्रतिशत भौतिक सत्यापन परियोजना कार्यालय के द्वारा करने के उपरान्त ही इन्सेन्टिव की धनराशी अवमुक्त की जायेगी। सूची में डीलर/स्वरोजगार कार्यकर्ता का नाम संलग्न निर्धारित रूप पत्र पर अकिंत करने के साथ, उक्त 'सोलर कुकर के विक्रय का शत्त-प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया गया ' अकिंत किया जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक माह के अन्त में लाभार्थी सूची, अवमुक्त इन्सेन्टिव धनराशी का विवरण उरेडा मुख्यालय को भेजा जायेगा।
5. सोलर कुकर्स की रिपेयर्स सुविधा जनपद स्तर पर उपलब्ध कराने के लिये पूर्व में सर्विस सैन्टरों की स्थापना की कार्यवाही की गई थी। इन सैन्टर्स की सूची, नाम, पता सहित मुख्यालय प्रेषित की जाय एवं यदि सर्विस सैन्टर स्थापित/सुचारू रूप से क्रियाशील नहीं है, तो नये सर्विस सैन्टर की स्थापना हेतु उपयुक्त दुकान का चयन कर मुख्यालय सूचना प्रेषित करें।
6. परियोजना अधिकारी द्वारा सोलर कुकर्स के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रमुख स्थलों पर, मेलों आदि पर सोलर कुकर्स का सजीव प्रदर्शन कराया जायेगा, जिसके लिए परियोजना अधिकारी जिला प्लान में प्रदर्शनी प्रचार/प्रसार मद में धनराशी का उपयोग करेंगे।
7. सोलर कुकर को ग्रामीण क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए परियोजना अधिकारी द्वारा विषेश प्रयास किए जायें। क्रेता ग्रामीणों को सोलर कुकर के उपयोग की विधि से अच्छी तरह परिचित कराया जाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी सजीव प्रदर्शन कराया जाए।

प्रत्येक माह में सोलर कुकर्स की लाभार्थी सूची संलग्न प्रारूप पर, उरेडा मुख्यालय प्रेषित की जायेगी। प्रेषित सूची के अनुसार विक्रय सोलर कुकर्स के भौतिक सत्यापन में त्रुटि के लिए सम्बन्धित परियोजना अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

उरेडा द्वारा सोलर वाटर हीटर की स्थापना पर देय अनुदान हेतु निर्धारित दिशा-निर्देश

1 सोलर वाटर हीटर संयंत्रों की स्थापना पर घरेलू उपयोग हेतु रू0 6000/- प्रति 100 लीटर प्रतिदिन क्षमता की दर से, पंजीकृत/अव्यवसायिक संस्थानों को रू0 3800/- प्रति 100 लीटर प्रतिदिन क्षमता की दर से एवं व्यवसायिक संस्थानों को रू0 4350/- प्रति 100 लीटर प्रतिदिन क्षमता की दर से उरेडा द्वारा राज्य सरकार बजट से अनुदान देय होगा।

2 क्रम सं0 1 पर अनुमन्य अनुदान सोलर वाटर हीटर संयंत्रों की स्थापना पर MNRE Approved भारत सरकार द्वारा अनुमन्य ब्याज ऋण अनुदान/पंजीगत अनुदान (जहाँ जैसी स्थिति हो) के अतिरिक्त देय होगा।

3 यह अनुदान उन संयंत्रों पर देय होगा जिनमें बी0 आई0 एस0 Approved फ्लेट प्लेट सोलर कलेक्टर अथवा MNRE Approved ETC टाईप कलेक्टर स्थापित हो।

4 संयंत्र की क्षमता की गणना करते समय 100 लीटर प्रतिदिन क्षमता के संयंत्र पर फ्लेट प्लेट कलेक्टर की स्थिति में कम से कम 2.00 वर्ग मीटर कलेक्टर एरिया का कलेक्टर एवं ETC टाईप कलेक्टर पर कम से कम 15 ट्यूब युक्त कलेक्टर होना चाहिये।

5 सोलर वाटर हीटर के अन्य अवयवों की विशिष्ठियां उरेडा द्वारा सोलर वाटर हीटर संयंत्रों हेतु निर्धारित विशिष्ठियों के अनुरूप होनी चाहिए।

6 इस योजना के अन्तर्गत अनुदान उन्हीं निर्माताओं/आपूर्तिकताओं द्वारा स्थापित संयंत्रों पर देय होगा जो उरेडा में सूचीबद्ध होंगे। उरेडा में सूचीबद्ध निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं की सूची पृथक से प्रेषित की जायेगी एवं इससे समय-समय पर संशोधन होने पर तद्नुसार अवगत कराया जायेगा।

7 इस योजना से अनुदान प्रदान करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(अ) लाभार्थी द्वारा सोलर वाटर हीटर स्थापना के पश्चात निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-1) पर अनुदान हेतु प्रस्ताव उरेडा को प्रस्तुत किया जायेगा। इसके साथ उपभोक्ता को संयंत्र आपूर्तिकर्ता फर्म से प्राप्त बिल की प्रति अपने विद्युत संयोजन के सापेक्ष भुगतान किये गये नवीनतम बिल की प्रति बिल के भुगतान किये जाने के प्रमाणों/रसीद सहित संलग्न करनी होगी इसके साथ इस आशय का शपथ पत्र " कि मेरे द्वारा पूर्व में सोलर वाटर हीटर स्थापना पर कोई अनुदान प्राप्त नह किया है एवं मेरे द्वारा इस संयंत्र को कार्यशील रखकर गर्म पानी का नियमित उपयोग किया जायेगा एवं बिना उरेडा की पूर्व अनुमति के अनयन्त्र हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा, ऐसा करने पर उरेडा द्वारा दिया गया अनुदान वापस लिया जा सकता है। " रू0 100/- के नान ज्यूडिश्यिल स्टैम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।

(ब) उरेडा के जनपदीय वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी द्वारा संयंत्र का भौतिक सत्यापन कर उसे निर्धारित तकनीकी विशिष्ठियों के अनुरूप ठीक पाये जाने पर तद्नुसार प्रमाणित करते हुए रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर संयंत्र के कम से कम दो फोटो ग्राफस सहित मुख्यालय प्रेषित की जायेगी। इस रिपोर्ट के साथ संयंत्र स्थापित कर्ता फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल एवं शपथ पत्र की प्रमाणित पत्र की प्रति प्रेषित की जायेगी। फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल, स्थापित संयंत्र कलेक्टर का प्रकार निर्माता फर्म का नाम एवं ETC कलेक्टर की दशा में ट्यूब की संख्या इत्यादि अंकित होनी चाहिए।

8 उरेडा के समबन्धित जनपदीय अधिकारी द्वारा संयंत्र का निरीक्षण कर उपरोक्तानुसार देय अनुदान की संस्तुति करते हुए प्रस्ताव उरेडा मुख्यालय प्रेषित किया जायेगा ।

9 उरेडा मुख्यालय स्तर से प्रस्ताव का परीक्षण कर अनुमन्य धनराशी समबन्धित परियोजना कार्यालय को अवमुक्त की जायेगी जिसे परियोजना कार्यालय से समबन्धित लाभार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा।

10 संयंत्रों की स्थापना के पश्चात उत्तरांचल पावर कारपोरेशन द्वारा उपभोक्ता को उसके विद्युत बिल में रू0 75/- प्रति 100 लीटर प्रतिदिन क्षमता पर माह की अनुमन्य छूट के समबन्ध में लाभार्थी की ओर से आव6यक प्रस्ताव उत्तराँचल पावर कारपोरेशन को प्रेषित किये जाने हेतु लाभार्थी को समुचित जानकारी देने की कार्यवाही परियोजना कार्यालय स्तर से की जायेगी ।

11 स्थापित संयंत्रों पर MNRE भारत सरकार द्वारा अनुदान देय होने की स्थिति में तत्समबन्धी प्रस्ताव भी राज्य सरकार से देय अनुदान के प्रस्ताव के साथ मुख्यालय प्रेषित किया जाय। MNRE द्वारा वर्ष 2007-08 में देय पजीगत अनुदान से समबन्धित MNRE भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही ळें

12 उरेडा द्वारा राज्य सरकार बजट से अनुदान दिनांक 01 जनवरी, 2008 अथवा उसके पश्चात स्थापित संयंत्रों पर देय होगा ।

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)

वर्ष **2007-08** में सोलर वाटर हीटर संयंत्रों की स्थापना हेतु एम**0**एन**0**ई**0**एस**0** भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का संक्षिप्त विवरण :-

1- 2007-08 में एम0एन0ई0एस0 द्वारा संयत्रों की स्थापना पर कोई पूंजीगत अनुदान अनुमन्य नहीं है।

2- संयत्रों की स्थापना हेतु इरेडा के द्वारा (एम0एन0ई0एस0 के कार्यक्रमानुसार) बैकों, वित्तीय संस्थाओं आदि के माध्यम से संयंत्र की लागत का 85 प्रतिशत तक ऋण दिया जायेगा। जिन पर घरेलू उपयोग हेतु 02 प्रतिशत, संस्थागत उपयोग हेतु जहॉ मूल्य ह्रास का लाभ नहीं लिया जा रहा है 03 प्रतिशत एवं उद्योगों/वणिज्यिक संस्थानों जहॉ मूल्य ह्रास का लाभ लिया जा रहा है 05 प्रतिशत ब्याज देय होगा। शेष ब्याज धनराशी एम0एन0ई0एस0 द्वारा ऋण ब्याज अनुदान के रूप में देय होगी।

3- इस ऋण का भुगतान 5 वर्षों में करना होगा।

4- ऋण BIS Approved फ्लैट प्लेट कलैक्टर एवं M.N.E.S. Approved ETC ; युक्त क्लैक्टर हेतु अनुमन्य है।

5- बैंक/वित्तीय संस्थानों को प्रत्येक ऋण प्रकरण पर रू0 200.00 का सविर्स चार्ज एम0एन0ई0एस0 द्वारा देय है।

6- इरेडा द्वारा स्वीकृत संयत्रों की सूचना राज्य की नोडल एजेन्सी को दी जायेगी। जिसका अनुश्रवण प्रथम वर्ष में संयंत्र का कम से कम भ्रमण करने पर नोडल एजेन्सी को रू0 50.00 प्रति वर्ग मीटर कलैक्टर एरिया देय होगा।

7- एम0एन0ई0एस0 भारत सरकार द्वारा बिजनेस मीट, ट्रेनिंग कार्यक्रम, प्रचार-प्रसार हेतु भी धनराशी अनुमन्य की जायेगी।

एम0एन0ई0एस0 की नीतियों/दिशा-निर्देशों की प्रति भी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

लीलाधर शर्मा
वरिष्ठ परियोजना अधिकारी

उत्तराचंल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण
ऊर्जा पार्क परिसर इण्डस्ट्रियल एरिया, पटेल नगर, देहरादून।
फोनः- 0135-2521386, 2521387 फैक्स :- 0135-2521553
ई-मेल :. ureda@rediffmail .com
संख्या 2731 /2006/उरेडा-2(1)-79/2006
दिनाँकः- 08 सितम्बर, 2006

सेवा में,
प्रभारी,
उरेडा-अल्मोडा।

महोदय,

जनपद अल्मोडा के विकासखण्ड सल्ट, भिक्यासेंण आदि क्षेत्रों में मिर्च की अधिकता के दृष्टिगत कृषकों को मिर्च तथा अन्य उत्पादों को सुखाने के लिए सोलर ड्रायर अनुदान पर देने की योजना पायलट आधार पर संचालित करने एवं प्रथम चरण में क्षेत्र में 50 कि.ग्रा. क्षमता के 15 नं0 सोलर ड्रायर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

50 कि0ग्रा0 क्षमता के सोलर ड्रायर की आपूर्ति/स्थापना लागत रू0 80,000/- है। इससे संबन्धित फर्म से हुए अनुबन्ध की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। इस पर 90 प्रतिशत अनुदान उरेडा द्वारा तथा 10 प्रतिशत धनराशी लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी। आपूर्तिकर्ता फर्म को समस्त संयत्रों की स्थापना 30 सितम्बर, 2006 तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

सोलर ड्रायर हेतु लाभार्थी चयन कर संयंत्र की स्थापना करायी जानी है। लाभार्थी चयन में मुख्यतया ध्यान में रखा जाय कि लाभार्थी क्षेत्र का कृषक हो एवं मिर्च तथा इस प्रकार की अन्य फसलों, जिनको सुखाने के लिए ड्रायर अधिक उपयोगी हो सकता है, की खेती करता है। सोलर ड्रायर्स के उपयोग में उसकी रूचि हो एवं लाभार्थी अंशदान देने को सहमत हो।

यह कार्यक्रम प्रथम बार संचालित किया जा रहा है। इस कारण लाभार्थी चयन में विषेश सावधानी रखने की आव6यकता है, जिससे सोलर ड्रायर के अधिक से अधिक उपयोग के साथ ही जन-साधारण में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार हो एवं लोगों को इसकी उपयोगिता के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। इसके दृष्टिगत लाभार्थी चयन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों यथा मा0 सदस्य/प्रधान ग्राम पंचायत, मा0 सदस्य/प्रमुख क्षेत्र पंचायत, मा0 सदस्य/अध्यक्ष जिला पंचायत, मा0 विधायकों आदि का सहयोग भी लिया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि शीघ्रति शीघ्र लाभार्थी चयन कर उपरोक्तानुसार 15 नं0 सोलर ड्रायर्स की स्थापना सुनिश्चत करने की कार्यवाही करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।
भवदीय

(लीलाधर शर्मा)
वरिष्ठ परियोजना अधिका उरेडा।

सी0 भाष्कर
निदेशक

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण
ऊर्जा पार्क परिसर इण्डस्ट्रियल एरिया, पटेल नगर, देहरादून।
फोनः- 0135-2521386,2521387, फैक्सः-0135 2521553
संख्या 1633/2007/उरेडा-2(1)-104/2007-08
दिनाँकः- 26 सितम्बर,2007

सेवा में,

संबन्धित वरि**0** परि**0** अधि**0**/परि**0** अधिकारी
उरेडा-उत्तराखण्ड।

महोदय,

वर्ष **2007-08** की जिला योजना में सामुदायिक सोलर कुकर के अन्तर्गत जिला योजना में अनुमोदित धनराशी एवं इसके सापेक्ष निर्धारित लक्ष्यों का विवरण निम्नवत् है :-

क्रम सं0	जनपद	प्राविधानित धनराशी (लाख रूपये में)				निर्धारित लक्ष्य (भौतिक)			
		Total	Gen	SCP	TSP	Total	Gen	SCP	TSP
1	हरिद्वार	0.25	0.20	0.05	0.00	5	4	1	0
2	रूद्रप्रयाग	3.42	2.74	0.68	0.00	64	51	13	0
3	चम्पावत	1.00	0.81	0.19	0.00	18	14	4	0
4	अल्मोडा	6.83	5.60	1.23	0.00	128	105	23	0
योग		11.50	9.35	2.15	0.00	215	174	41	0

इस कार्यक्रम के अर्न्तगत प्राथमिक विद्यालयों में मध्याहन भोजन योजना के अर्न्तगत एमएनआरई**,** भारत सरकार द्वारा अनुमोदित डिश टाइप सोलर कुकर **(SK-14)** की स्थापना मध्याहन भोजन तैयार करने हेतु की जानी है। सोलर कुकर्स की स्थापना हेतु निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए ही जिला शिक्षा अधिकारी के सहयोग/संस्तुति के साथ निम्नानुसार विद्यालयों का चयन किया जाना है :-

ऐसे विद्यालयों का चयन किया जाय जिनमें सोलर कुकर से खाना बनाने हेतु पर्याप्त धूप आती हो एवं सोलर कुकर स्थापना हेतु प्र्याप्त उपयुक्त स्थल उपलब्ध हो।

1. एक कुकर से **05** लीटर क्षमता के प्रेशर कुकर में भोजन तैयार किया जाता है एवं सामान्य परिस्थितियों में एक कुकर से एक से अधिक व्यंजन नहीं तैयार किया जा सकता। इस प्रकार प्रति विद्यालय छात्र संख्या के दृष्टिगत ही वहाँ मध्याहन भोजन तैयार करने हेतु आवश्यक सोलर कुकर की संख्या का निर्धारण करें। यहाँ यह भी सूनिश्चचत कर लें कि विद्यालय में वांछित सोलर कुकर हेतु उपयुक्त स्थल उपलब्ध है। इसमें प्रयास यह होना चाहिए कि कम छात्र संख्या वाले अधिक विद्यालयों का चयन किया जा सके**,** जिससे कार्यक्रम का अधिक से अधिक प्रचार हो।
2. एस**.**सी.पी. के अर्न्तगत प्राविधानित धनराशी के सापेक्ष निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष संयत्रों की स्थापना उन्ही विद्यालयों में की जाय**,** जहां सम्बन्धित श्रेणी के छात्रों की बहुलता हो एवं इस बिन्दु पर जिला शिक्षा अधिकारी की स्पष्ट संस्तुति के अनुरूप कार्यवाही की जाय।
3. प्रत्येक चयनित विद्यालय में सोलर कुकर एवं वैकल्पिक ऊर्जा से समबन्धित प्रचार सामग्री लिखने हेतु लगभग 8* X 6* का स्थल दीवार पर उपलब्ध हो जहां पर छात्र/विद्यालय के आगन्तुक इसे पढ सकें एवं कार्यक्रम का व्यापक प्रचार हो सके।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार विद्यालयों का चयन कर चयनित विद्यालयों की सूची आवश्ययक विवरण सहित विलम्बतः **30-10-2007** तक प्रत्येक दशा में उरेडा मुख्यालय में समबन्धित कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चचत करें ताकि ससमय कार्यादेश जारी किया जा सके।

भवदीय
(सी0 भास्कर)
निदेशक, **उरेडा।**

TECHNICAL SPECIFICATION & OTHER REQUIREMENT FOR VARIOUS COMPONENTS OF SOLAR DRYER SYSTEM

1. DRYER CABINET

1. Minimum Size of Solar Dryer cabinet should be as follows -
   (a) Length – 2100 mm, (b) Width – 1200 mm,
   (c) Front height – 475 mm, (d) Back height – 1050 mm
2. Minimum solar window should be 2.2 sq. mts.
3. Minimum drying area should be 3.6 sq. mts.
4. Minimum loading capacity should be 50.00 Kg.
5. Size of M.S. angle/square tube for dryer frame should not be less than 25 mm.x25 mm. and thickness of cabinet sheet should not be less then 22 SWG.
6. Glass Should be of minimum 04 mm thick Toughened. Maximum size of one glass can be 1300 mm x 750 mm. Tilting Angle of Glass must be equivalent to latitude of installation site.
7. Three no. of 12 volt, 10W SPV module shall be fixed to operate 03 no. 75 mm dia D.C. fan.
8. Three no. solar lantern with 12 volt 07 AH. SMF Battery with 05 W CFL shall be supplied along with dryer.
9. Dryer must have at least 03 nos., 75 mm dia size fan to circulate the air.
10. Plugs has to be fixed in dryer to charge lantern also.
11. The dryer must be painted with primer and three coat of enameled (Dull color) paint to make it corrosion proof.
12. Locking arrangement for dryer to be provided.
13. Drying tray must be made of stainless steel, thickness having not less that 24 SWG shall be provided. The tray should have proper air circulation arrangement.
14. 03 x 1.2 kW electric backup system should be incorporated with proper switches and controls with atleast 10 mtr. cable of suitable size.
15. Suitable arrangement such as wheels to be provided for shifting the dryer from one place to other place.
16. Supply of consumable spares for one year to be supplied along with dryer.
17. Temperature gauge indicator, thermostat, switches etc. should be provided to operate the fan at desired temperature between 30 C^0 to 60 C^0.

वर्ष **2008-09** की प्रस्तावित योजनाऐं।

1. बायोऊर्जा कार्यक्रम

1-1 बायोमास वुडस्टोव :- इस कार्यक्रम में कुल रू0 13.00 लाख की धनराशी प्रस्तावित है**,** जिसमें अनुमानित 2080 संख्या वुडस्टोव विभिन्न ग्रामों में**,** जो कि कलस्टर रूप में चयनित यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम**,** अथवा पूर्व में स्थापित बायोमास ब्रिकेटिंग मशीनों के निकट है**,** में वितरित किया जाना प्रस्तावित है।

1-2 बायोमास गैसीफायर :- वर्ष 2007-08 में बायोमास गैसीफायर मद में बची धनराशी का उपभोग बायोमास स्टोव के वितरण हेतु किया गया है**,** अतः वर्ष 2008-09 में बायोमास गैसीफायर हेतु प्राप्त होने वाले प्रस्तावों की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशी बायोमास वुड स्टोव मद में की जानी प्रस्तावित है।

1-3 बायोऊर्जा से विद्युत उत्पादन :- इस योजना हेतु एम**0**एन**0**आर**0**ई**0,** भारत सरकार द्वारा **20** किलोवाट क्षमता के संयंत्रों पर **40** प्रतिशत अधिकतम रू**0 40,000/-** प्रति किलोवाट**, 20** किलोवाट से **100** किलोवाट क्षमता के संयंत्रों पर **40** प्रतिशत अधिकतम रू**0 35,000/-** प्रति किलोवाट स्थापित क्षमता एवं **100** किलोवाट क्षमता से अधिक के संयंत्रों पर **40** प्रतिशत अधिकतम रू**0 30,000/-** प्रति किलोवाट स्थापित क्षमता की दर से केन्द्रीय सहायता अनुमन्य है। इन संयंत्रों पर केन्द्रीय सहायता के समतुल्य सहायता राज्य बजट से दी जानी प्रस्तावित है।

2. सौर ऊर्जा कार्यक्रम:

2.1 सोलर थर्मल

2.1.1. डि**श** टाईप सोलर कुकर :- इस योजना हेतु वर्ष **2008-09** की वार्षिक योजना में जिला योजनान्तर्गत रू**0 20.860** लाख का बजट अनुमोदित है। इस सयंत्र पर रू**0 1500/-** प्रति कुकर केन्द्रांश का अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है**,** अवशेष धनराशी राज्यांश से वहन कर वर्ष **2008-09** में संयंत्र प्राथमिक विद्यालयों में मध्याहन भोजन तैयार करने हेतु स्थापित किये जाने प्रस्तावित है।

2-1-2 सोलर वाटर हीटर :- इन संयंत्रों पर एम**0**एन**0**आर**0**ई**0,** भारत सरकार द्वारा देय अनुदान के अतिरिक्त राज्य बजट से पूर्व में दी जा रही अनुदान धनराशी निजी उपयोगकर्ताओं को रू**0 6,000/-** प्रति **100** ली**0**/प्रतिदिन क्षमता**,** पंजीकृत गैर व्यवसायिक प्रति6ठानों को **रू**0 4350/- प्रति **100** ली**0**/प्रतिदिन क्षमता की दर से अनुदान प्रस्तावित है।

2-1-2- सोलर ड्रायर :- राज्य में कृषकों को कृषि/फल उत्पादों को सुखाने हेतु सोलर ड्रायर अनुदान पर दिये जाने की योजना है**,** इसमें **10** प्रतिशत लाभार्थी से लेकर अवशेष धनराशी केन्द्र/राज्य सरकार से वहन की जानी प्रस्तावित है। एम**0**एन**0**आर**0**ई**0,** भारत सरकार द्वारा ड्रायर हेतु इसकी लागत का **50** प्रतिशत धनराशी केन्द्रीय सहायता के रूप में दिये जाने का प्राविधान है**,** शेष राज्य सहायता के रूप म वहन की जानी प्रस्तावित है ।

2.2 सोलर फोटोवोल्टाईक- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मात्र जिला योजना में रू**0 360.27** लाख धनराशि का बजट प्राविधान है**,** जिसके सापेक्ष रू**0 359.024** लाख की योजनाऐं जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समितियों द्वारा अनुमोदित हैं। सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रमों के अन्तर्गत निम्नानुसार योजनाऐं प्रस्तावित हैं:-

2.2.1. केन्द्रांश के सापेक्ष संचालित योजनाऐं- इस कार्यक्रम में सोलर धरेलू बत्ती, सोलर स्ट्रीट लाईट एवं सोलर लालटेन कार्यक्रम संचालित किए जाने हैं। इन संयत्रों हेतु पूर्व निर्धारित दरों की वैधता दिनांक 31.3.2008 को समाप्त हो जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2008-09 में उपरोक्त सभी संयत्रों हेतु निविदाऐं आमंत्रित कर दरें निर्धारित किए जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। शासन के निर्देशों

के अनुरूप केन्द्रपोषित योजनाओं का क्रियान्वयन केन्द्रांश की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कराया जाना है, सामान्यतया केन्द्रांश की स्वीकृति वित्तीय वर्ष के तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास में प्राप्त होती है। अतः इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के विचारारार्थ प्रस्तुत हैः-

अ. सोलर घरेलू बत्ती एवं स्ट्रीट लाईट- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रमशः रू**0 159.75** लाख एवं रू**0 76.34** लाख राज्यांश का प्राविधान प्रदेश में निर्मित इन्दिरा आवासों एवं निकटवर्ती मार्गो पर वैकल्पिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किया गया है। संयत्रों की स्थापना हेतु केन्द्र के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन संयत्रों की स्थापना शहरी एवं अविद्युतीकृत क्षेत्रों को छोडकर अन्य क्षेत्रों में की जानी है। संयत्रों की स्थापना हेतु आवश्यक कुल धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश के अतिरिक्त आवश्यक राज्यांश की पूर्ति प्राविधानित बजट धनराशि में से की जानी है। सोलर घरेलू बत्ती संयत्रों हेतु प्रत्येक इन्दिरा आवास के लाभार्थी से रू**0 500/-** का लाभार्थी अंश प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है। केन्द्रांश की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त इस कार्यक्रम को संचालित किए जाने की दशा में होने वाले विलम्ब के दृष्टिगत यह प्रस्तावित है कि वर्तमान में केन्द्र के अंश की पूर्ति भी बजट में प्राविधानित राज्यांश से करते हुए उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत योजना प्रारम्भ करा दी जाय एवं केन्द्र से स्वीकृति प्राप्त होने की दशा में आवश्यक राज्यांश की पूर्ति हेतु, वर्तमान में सम्पूर्ण राज्यांश से संचालित की जाने वाली योजना से राज्यांश की धनराशि का समायोजन करते हुए अतिरिक्त संयत्रों की स्थापना कराई जाय।

ब. सोलर लालटेन- विगत वर्षो से यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप अविद्युतीकृत ग्रामों/तोकों में वैकल्पिक प्रकाश व्यवस्था हेतु क्रियान्वित किया जा रहा है। संयत्रों हेतु देय केन्द्रांश के अतिरिक्त विभिन्न वर्गो के लाभार्थियों हेतु पृथक-पृथक अनुदान का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा भी किया गया है। इस कार्यक्रम में प्राविधानित राज्यांश रू0 92.24 लाख के समय से उपभोग हेतु भी यह प्रस्तावित है कि वर्तमान में केन्द्र के अंश की पूर्ति भी बजट में प्राविधानित राज्यांश से करते हुए उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत योजना प्रारम्भ करा दी जाय एवं केन्द्र से स्वीकृति प्राप्त होने की दशा में आवश्यक राज्यांश की पूर्ति हेतु, वर्तमान में सम्पूर्ण राज्यांश से संचालित की जाने वाली योजना से राज्यांश की धनराशि का समायोजन करते हुए अतिरिक्त संयत्रों की स्थापना कराई जाय।

उक्त योजनाओं में केन्द्र से भौतिक लक्ष्यों की स्वीकृति राज्य की धनराशि से स्थापित संयत्रों की संख्या से कम होने की दशा में अवशेष स्थापित संयत्रों का सम्पूर्ण अंश राज्यांश से ही वहन होगा। इस संबंध में शासन से भी अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

2.2.2 राज्यांश से संचालित योजनाऐं- इस कार्यक्रम में सोलर पम्प हेतु रू0. 10.00 लाख एवं सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना एवं अनुरक्षण हेतु 20.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है। प्रस्तावित योजनाओं हेतु निविदाओं के आधार पर दरें निर्धारित करते हुए योजनाऐं संचालित की जानी हैं।

4. पवन ऊर्जा

4.1 विण्ड मानीटरिंग :- राज्य में वायु बाहुल्य स्थलों पर वायु वेग मापन हेतु/विण्ड मैपिंग हेतq MNRE भारत सरकार द्वारा केन्द्र पोषित विण्ड मानीटरिंग कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसमें 80: धनराशि केन्द्र सरकार 20: राज्य सरकार वहन की जानी है। इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के निर्देशानुसार C-WAT, चेन्नई द्वारा किया जा रहा है। पूर्व में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 06 नं0 स्थल पर विण्ड मानीटरिंग स्टेशन स्थापित करनें का कार्य प्रगति पर है एवं अन्य 18 चिन्हित स्थलों पर विण्ड मानीटरिंग स्टेशन स्थपित करनें की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। 01 विण्ड मानी0 स्टेशन लगभग 7.50 लाख का व्यय आता है इस प्रकार प्रति विण्ड रूप 1.50 लाख राज्यांश वहन किया जाना प्रस्ताव है वर्ष 2008-09 में इस हेतु रू0 5.00 लाख बजट प्राविधानित है। भारत सरकार से अतिरिक्त स्थलों की स्वीकृति प्राप्त होने पर तद्नुसार अतिरिक्त राज्यांश हेतु अनुरोध किया जायेगा।

5. लघु जल विद्युत ऊर्जा कार्यक्रम :-

5-1 लघु जल विद्युत योजना- वित्तीय वर्ष 2008-09 में कुल 250 किलोवाट क्षमता की जल विद्युत योजनाओं की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। जनमें 25 एवं 50 किलोवाट क्षमता की 05 इकाईयों सम्मिलित हैं। इन योजनाओं हेतु प्रथम चरण में कुल रू0 7,55,55,000/- लागत के सापेक्ष राज्यांश रू0 6,95,97,000 में से रू0 1,16.00 लाख राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है। योजनाओं का विवरण संलग्नक-2 पर प्रस्तुत है।

5-2 घराट कार्यक्रम- वित्तीय वर्ष 2008-09 में कुल 200 घराटों की स्थापना प्रस्तावित है, इस योजना पर रू0 6,000/- प्रति घराट के आधार पर रू0 12.00 का व्यय राज्यांश से प्रस्तावित है, इन योजनाओं पर रू0 1,00,000/- प्रति इलेक्ट्रो/मैकेनिकल घराट केन्द्र द्वारा वहन की जाती है। तथा मैकेनिक घराटों हेतु रू0 30000/- की वित्तीय सहायता अनुमन्य की जाती है।

5-3 सर्वेक्षण/डी0पी0आर0/विशेषज्ञ सेवाऐं- लघु जल विद्युत योजनाओं के सर्वेक्षण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, एवं पर्यवेक्षण, विशेषज्ञ सेवाओं हेतु रू0 22.00 लाख के व्यय का प्रस्ताव है, जिसमें से शासन द्वारा ए0एच0ई0सी0 रूडकी को विशेषज्ञ सेवाओं के लिए रू0 15,00,000/- का भुगतान भी सम्मिलित है।

6. ग्रामीण ऊर्जा तकनीकी कार्यक्रम

6-1 सौर चरखा :- राज्य की सीमान्त जनपदों (चमोली, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ एवं अल्मोडा) में रेशम, ऊन एवं सूत की कताई हेतु ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन एवं ऊर्जा की बचत के दृष्टिगत सुधारित ग्रामीण प्रौद्योगिकी हेतु इस वर्ष लगभग 74 सौर चरखों की स्थापना का कार्य प्रस्तावित है, जिस हेतु कुल रू0 25.00 लाख की धनराशि का प्राविधान है।

6-2 बुलक आप0 बहुद्देशीय संयत्र :- सुधारित ग्रामीण प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत वह किसान, जो कि ट्रैक्टर क्रय नही कर सकते हैं, लाभार्थियों को ऊर्जा संरक्षण के दृष्टिगत बूलक ड्रान ट्रैक्टर जनपद उधमसिंह नगर, हरिद्वार, चम्पावत एवं देहरादून में वितरित किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत कुल रू0 10.00 लाख की धनराशि से 33 संख्या संयंत्र वितरित किये जाने प्रस्तावित है।

6-3 विनोइंग फैन- जिला योजना के अन्तर्गत रू0 0.18 लाख का प्राविधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत 50 प्रतिशत अनुदान पर ओसाई पंखे संयत्रों का वितरण प्रस्तावित है।

डा0एम0सी0 जोशी
निदेशक

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण(उरेडा)
ऊर्जा पार्क परिसर इण्डस्ट्रियल एरिया, पटेल नगर, देहरादून।
फोन न0:- 0135.2521386,87

संख्याः- 70 /उरेडा/बा0स्टोव/06-07
दिनाँकः- 09 अप्रैल, 2007

समस्त वरि0/परि0अधिकारी/प्रभारी,
उरेडा उत्तराखण्ड ।

ग्रामीण क्षेत्रों में साधारणतयाः एक परिवार द्वारा प्रतिदिन 10 किलोग्राम लकडी ईधन के रूप में उपयोग की जाती है, इसप्रकार प्रति परिवार एक वर्ष में अनुमानतः 3650 किलोग्राम लकडी ईधन के रूप में प्रयोग होती है, जिसकारण प्रतिवर्ष 2.4 हेक्टेयर वनक्षेत्र पर दबाव पडता है। प्रतिदिन प्रत्येक परिवार से एक महिला जगंल से ईधन एंव चारा इकटठा करने में लगभग 03-04 घण्टे खर्च करती है। महिलाये साधारणतयाः सप्ताह में 04 दिन ईधन एंव चारा इकटठा करने के लिये जगंल में जाती है, यह कार्य बारिश के मौसम को छोडकर कर वर्षभर कुल 08 महिनों में पूरा किया जाता है। महिलायें एक वर्ष में ईधन एंव चारा इक्टठा करने में लगभग 512 घण्टे खर्च करती है, फिर भी ईधन की आवश्यकतायें पूरी नही होती, जिसका परिणाम महिलाओं पर कार्यबोझ एवं जंगलों पर दबाव है।

यह अनुमान है कि बायोमास ब्रिकेट्स की समान मात्रा का प्रयोग करने से प्रति परिवार 60-90 प्रतिशत लकडी की बचत की जा सकेगी, इसप्रकार यह आँका गया है कि एक परिवार के द्वारा एक वर्ष में 2.55 मीट्रिक टन लकडी की ईधन के रूप में बचत की जा सकती है। ईधन और चारा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उर्जा वृक्षारोपण की बडे पैमाने पर आवश्यकता है।

ग्रामीण क्षेत्र में बायोमास ब्रिकेट्स का उपयोग, जहाँ जगलों के ऊपर पडने वालें दबाव को कम करेगा, साथ ही इसका प्रभाव भविष्य में पर्यावरण को बचाने में भी सहायक होगा।

आईआरईपी कार्यक्रम के अन्तर्गत ऊर्जा सर्वेक्षण हेतु चयनित ग्राम समूहों एंव ब्रिकेट निर्माताओं के निकटवर्ती ग्रामों में अनु0जाति/अनु0जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में प्रति ग्रांम में न्यूनतम 60-75 प्रतिशत परिवारों को बायोमास वुडस्टोव का वितरण किया जाना प्रस्तावित ह। इस बायोमास स्टोव में लकडी, कृषि अवशेष, ब्रिकेट्स विभिन्न प्रकार के ईधन प्रयोग किये जा सकते है, ताकि ईधन हेतु लकडी एकत्र करने में समय की बचत, वनो पर दबाव एवं महिलाओं के कार्यबोझ में कमी लाई जा सकें। जनपदवार वुडस्टोव का वर्गवार निर्धारित लक्ष्य, स्टोव का कुल मूल्य, देय अनुदान एवं लाभार्थी अशंदान का विवरण संलग्न किया जा रहा है।

चयनित ग्रामों में बायोमास वुडस्टोवस के वितरण से पूर्व संलग्न प्रारूप ' क ' पर प्रति परिवार व्यय किये जा रहे अनुमानित ईधन की मात्रा, उसका प्रकार एवं होने वाली कठिनाईयों का विवरण अवश्य प्राप्त कर लिया जाये तथा बायोमास वुडस्टोव के वितरण के एक निश्चित अवधि 02 माह उपरान्त प्रति परिवार व्यय किये जा रहे ईधन की अनुमानित मात्रा, ईधन एकत्र करने के समय में कमी, कठिनाईयो में, सुधार इत्यादि का विवरण संलग्नक ' ख ' पर प्राप्त किया जाये, ताकि स्टोव से होने वाले लाभ, समय की बचत, सुविधा, महिलाओं के कार्यबोझ में कमी का आँकलन प्राप्त हो सकें।

वुडस्टोव के लीफलैट, उनका विवरण, प्रयोग करने के सम्बन्ध में एक सी0डी0 सलंग्न कर प्रेषित की जा रही है। आप चयनित अनु0जाति/जनजाति, बाहुल्य ग्रांमों में संलग्न प्रारूप ' क ' पर विवरण प्राप्त कर लाभार्थी सूची, ग्रांम समूह के नाम एंव प्रस्तावित चूल्हों की कुल संख्या की एक स्थान पर डिलिवरी हेतु चयनित स्थल का नाम उरेडा मुख्यालय, आई0आर0ई0पी0 खण्ड को प्रत्येक दशा में दिनांक 30 अप्रैल, 2007 से पूर्व सूचित करना सुनिश्चित करे, ताकि समयानुसार चूल्हों की आपूर्ति पूर्ण कराई जा सकें।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

(डा0एम0सी0 जोशी)
निदेशक

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य विकास अधिकारी/(परियोजना नियंत्रक अधिकारी, उरेडा) .....उत्तराखण्ड ।
2. उप मुख्य परियोजना अधिकारी, आईआरईपी, उरेडा मुख्यालय, देहरादून ।

(डा0एम0सी0 जोशी)
निदेशक

डा0एम0सी0 जोशी
निदेशक

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण(उरेडा)
ऊर्जा पार्क परिसर इण्डस्ट्रियल एरिया, पटेल नगर, देहरादून।
फोन न0:- 0135-2521386, 87
टैलीफैक्सः- 0135- 2521553
संख्याः- 718 /उरेडा/बा0गैसीफायर/2006-07
दिनाँकः- 16 जून, 2007

समस्त वरि0/परि0अधि0/प्रभारी,
उरेडा, उत्तराखण्ड ।

विभिन्न क्षमता के बायोमास गैसीफायर संयत्रों की पायलट आधार पर स्थापना हेतु दरें एंव अनुदान के सम्बन्ध में प्राथमिक रूप से सूचनायें पूर्व में प्रेषित की गई हैं। राज्य सरकार द्वारा श्रेणीवार देय अनुदान का विवरण निम्नवत् है, जिसमें MNRE द्वारा देय अनुदान सम्मिलित होगा :-

1- MNRE, भारत सरकार के पत्र सं0 F.No. 202/I/2007-BM dated 24.04.2007 के द्वारा वर्ष 2007-08 में गैसीफायर संयत्रों पर अनुदान गत् वर्षो की भाँति देय है। थर्मल गैसीफायर संयत्रों पर प्रति 100 kWe (300 kWth) हेतु रू0 2.00 लाख का अनुदान तथा Special Category State के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में 20 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देय है। इस प्रकार 100 kW/300 kWth क्षमता के संयत्रों हेतु रू0 2.40 लाख का अनुदान अनुमन्य होगा। 100 kWe से कम क्षमता के संयत्र हेतु Prorata Basis पर तथा अधिक क्षमता के संयत्रो हेतु Multiple Their of के आधार पर देय होगा ।

2- गैर व्यवसायिक, व्यक्तिगत् लाभार्थी तथा सरकारी शिक्षण संस्थाओं का MNRE अनुदान सहित कुल 90 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा।

3- व्यवसायिक, होटल, गैर सरकारी शिक्षण संस्थायें, ट्रस्ट, आश्रम तथा उद्योगों हेतु MNRE अनुदान सहित कुल 70 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा ।

4- क्षमतावार दरें, श्रेंणीवार अनुदान धनराशि (MNRE अनुदान सहित) तथा लाभार्थी अशंदान का विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

व्यक्गित होटल, ढाबें, हलवाई, नमकीन, बैकरी, शिक्षण संस्थाओं के होस्टल, मैस, ट्रस्ट, आश्रम, व्यवसायिक होटल एंव उद्योगों में लकडी, तेल, गैस, डीजल, कोयला उपयोग किया जाता है। लाभार्थी संस्थाओं में ईधन की बचत/लाभ/पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिगत् प्राथमिक रूप से यह योजना पायलट आधार पर कार्यान्वित की जायेगी तथा परिणाम उपयुक्त पाये जाने पर योजना का विस्तारीकरण प्रस्तावित है, अतः लाभार्थी चयन से पूर्व लाभार्थी की श्रेणी, संयत्र स्थापना हेतु उपयुक्त स्थल चयन, लाभार्थी के पास बायोमास की उपलब्धता के विषय में पूर्ण परीक्षण तथा संयत्र के उपयोग की सुनिश्चितता के उपरान्त प्रस्ताव उरेडा मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा। MNRE अनुदान हेतु प्रारूप की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। वित्तीय वर्ष में अनुदान की उपलब्धता पर ही संयत्रो की स्थापना सम्भव होगी।

अतः परियोजना/मुख्यालय पर क्रमशः जिला योजना/राज्य योजना में अनुदान धनराशि की उपलब्धता के आधार पर ही प्रस्ताव प्राप्त किये जाय। वर्ष 2006-07 में जनपदवार जिला योजना/राज्य योजना में तथा 2007-08 में राज्य योजना में प्रस्तावित धनराशि का विवरण संलग्न है।

<u>संलग्नकः- उपरोक्तानुसार ।</u>

(डा0एम0सी0 जोशी)
निदेशक

सी0 भास्कर
निदेशक

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)
ऊर्जा पार्क परिसर इण्डस्ट्रियल एरिया, पटेल नगर, देहरादून।
फोन न0:- 0135.2521386,87
संख्याः- 1297 /उरेडा/बा0गैसीफायर/2006-07
दिनाँकः- 13 अगस्त, 2007

समस्त वरिष्ठ/परि0अधिकारी/प्रभारी
उरेडा, उत्तराखण्ड

थर्मल बायोमास गैसीफायर संयत्रो की अनुदान के अन्तर्गत स्थापना हेतु पूर्व प्रेषित पत्र सं0 718 दिनांक 16 जून, 2007 के द्वारा दिशा-निर्देश एंव दरों का विवरण (अनुदान एंव लाभार्थी अशंदान सहित) प्रेषित किया गया था।

वर्ष 2006-07 एंव वर्ष 2007-08 में उपलब्ध बजट एंव आफ जनपद में संयत्रो की स्थापना हेतु सम्भावनाओं के दृष्टिगत् लक्ष्यों को प्रस्तावित कर संलग्न विवरण प्रेषित किया जा रहा है। आप लाभार्थी की श्रेणी एंव क्षमता के आधार पर अपना प्रस्ताव प्रत्येक दशा में दिनांक 30 अगस्त, 2007 तक उरेडा मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि बजट के अनुसार लक्ष्यों को अन्तिम रूप प्रदान किया जा सकें।

चकि इन संयत्रो पर श्रेणी वार 90 प्रतिशत एंव 70 प्रतिशत अनुमन्य अनुदान में एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार का अनुदान भी सम्मिलित है, अतः प्रस्ताव निर्धारित समयावधि में प्रेषित किये जायें, ताकि भारत सरकार से अनुदान की धनराशि प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव ससमय प्रेषित किये जा सकें।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

(सी0 भास्कर)
निदेशक

ए0के0 त्यागी
मुख्य परियोजना अधिकारी

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)
ऊर्जा पार्क परिसर इण्डस्ट्रियल एरिया, पटेल नगर, देहरादून। फोन न0:- 0135.2521386,87

संख्याः- 1507 /उरेडा/बा0गैसीफायर/2006-07
दिनाँकः- 06 सितम्बर, 2007

वरि0/परि0अधिकारी,
उरेडा, उत्तराखण्ड ।

अभिकरण के पत्र सं0 1297 दिनांक 13 अगस्त, 2007 के द्वारा वर्ष 2006-07 एंव वर्ष 2007-08 में थर्मल गैसीफायर संयत्रो की स्थापना हेतु लाभार्थी की श्रेणी एंव क्षमता के आधार पर प्रस्ताव दिनांक 30 अगस्त, 2007 तक उरेडा मुख्यालय को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। आफ जनपद से प्रस्ताव अप्राप्त है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाना है कि नियमानुसार चयनित लाभार्थी सें प्रस्ताव प्राप्त कर संलग्न बिन्दुओं पर विवरण सहित प्रस्ताव तत्काल मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि संयत्रों पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता अनुदान हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को ससमय प्रेषित किया जा सकें।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार ।

(ए0के0 त्यागी)
मुख्य परियोजना अधिकारी

ए0के0 त्यागी
मुख्य परियोजना अधिकारी

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)
ऊर्जा पार्क परिसर, इण्डस्ट्रियल एरिया विस्तार,
पटेल नगर, देहरादून। फोन न0-0135-2521386, 87
फैक्स न0- 0135-2521553
सं0 1756 /उरेडा/बा0गैसी0/2006-07
दिनांकः 10 अक्टूबर, 2007

समस्त वरि0परि0अधि0/परि0 अधि0/प्रभारी,
उरेडा, उत्तराखण्ड।

विषयः- थर्मल गैसीफायर हेतु लाभार्थियों के चयन के सम्बन्ध में।

थर्मल गैसीफायर संयत्रो की स्थापना हेतु उरेडा मुख्यालय के पत्र सं0 **718** दिनांक **16** जून, **2007** का सन्दर्भ ग्रहण कर। उक्त पत्र में बिन्दु संख्या **02** में अकिंत व्यक्तिगत लाभार्थी के रूप में हलवाई, बेकरी, डेयरी, नमकीन निर्माता इत्यादि (उत्पादन श्रेणी) तथा चाय की दुकान, रेस्टोरैन्ट, होटल, ढाबा, केटरिंग इत्यादि (सेवा श्रेणी), जिनका वार्षिक टर्न ओवर रू0 **10.00** लाख तक हो, को भी गैर व्यवसायिक श्रेणी में रखे जाने के निर्देश हुये है।

अतः तदुनसार लाभार्थियों का चयन जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी/ परियोजना नियत्रक अधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित कर किया जायेगा।

1- सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ।

2- जिला समाज कल्याण अधिकारी ।

3- वरि0/परि0अधि0/प्रभारी, उरेडा ।

निर्देशानुसार लाभार्थियों का चयन कर यथाशीघ्र प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(ए0के0 त्यागी)
मुख्य परियोजना अधिकारी

प्रतिलिपिः- मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना नियत्रक अधिकारी, उरेडा, ...।

(ए0के0 त्यागी)
मुख्य परियोजना अधिकारी

सी0 भास्कर
निदेशक

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण(उरेडा)
ऊर्जा पार्क परिसर, इण्डस्ट्रियल एरिया विस्तार
पटेल नगर, देहरादून। फोन 0:-0135-2521553, 2521386,
टैलीफैक्स न0:- 0135-2521387
सं0 2213 /उरेडा/सो0चरखा/2007-08
दिनांकः- 07 दिसम्बर, 2007

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय :- ऊन**,** रेशम एंव सूत की कताई हेतु पारम्परिक चरखें के स्थान पर सौर ऊर्जा द्वारा चालित चरखें की योजना का क्रियान्वयन।

महोदय,

उत्तराखण्ड के सीमान्त जनपदों में विशेषतः जनजाति श्रेणी के पारम्परिक कतकरों द्वारा ऊन की कताई एंव अन्य जनपदों में सभी श्रेणी के कतकरों द्वारा ऊन**,** रेशम व सूत की कताई का कार्य पारम्परिक चरखों द्वारा कर अपना जीविकापार्जन किया जा रहा है। पारम्परिक चरखें की सीमित उत्पादन क्षमता से कतकरों को वाँछित आय प्राप्त नही हो पाती है एंव अत्यधिक श्रम भी करना पडता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत उरेडा द्वारा उत्तराखण्ड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एंव विभिन्न स्वंय सेवी संस्थाओ के सहयोग से "सौर ऊर्जा चालित चरखा" विकसित कर चयनित लाभार्थियों को **90** प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराये जाने की योजना तैयार की गई है। इस नई तकनीक के चरखें से कताई करने पर लाभार्थी द्वारा कम श्रम से अधिक कताई कर आय उपार्जन से अपने जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है।

वर्तमान तक उरेडा द्वारा जनपद (पिथौरागढ**,** बागेश्वर**,** अल्मोडा**,** उत्तरकाशी एंव चमोली) में कुल **40** चरखों के वितरण से परिलक्षित परिणामों के आधार पर अन्य जनपदों में कताई के कार्यो में लगे कतकरों के जीवन स्तर में सुधार के मध्यनजर अधिक से अधिक कतकरों को लाभान्वित किये जाने का कार्यक्रम है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने जनपद में अधिक से अधिक कतकरों को प्राथमिकता के आधार पर चयन करवाते हुये सौर ऊर्जा चालित चरखों के वितरण कराने हेतु संलग्न दिशा-निर्देशों के अनुसार वरि**0**परि**0**अधि**0**/परि**0**अधि**0**/प्रभारी को अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हुये कतकरों के चयन हेतु जनपद में समीति का गठन कराकर योजना का क्रियान्वयन कराने का कष्ट करें ।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार (दिशा-निर्देश)।

भवदीय

(सी0 भास्कर)
निदेशक

प्रतिलिपिः- समस्त वरि0परि0अधि0/परि0अधि0/प्रभारी, उरेडा, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में योजना के क्रियान्वयन हेतु लाभार्थियों का चयन शीघ्रताशीघ्र कराना सुनिश्चित करें।

निदेशक

सौर ऊर्जा चालित चरखों के लाभार्थी चयन हेतु दिशा-निर्देश

1- इच्छुक पारम्परिक कतकरों (जो कि वर्तमान में कताई का कार्य कर रहे हों) को ही यथा सम्भव सौर ऊर्जा चालित चरखें अनुदान पर उपलब्ध करवायें जायेगें, ताकि पारम्परिक चरखों के स्थान पर सुधारित सौर ऊर्जा चालित चरखों के उपयोग से उनकी दैनिक आय में बढोत्तरी के साथ-साथ उनके जीवन स्तर में सुधार हो सकें।

2- प्राथमिक रूप से उन्ही ग्रामों को प्राथमिकता दी जाये, जहाँ कम से कम 15-20 पारम्परिक कतकर कताई का कार्य कर रहे हों। यथा सम्भव एक ग्राम में कम से कम 05 लाभार्थियों का चयन अवश्य किया जाये, ताकि कार्यक्रम के परिणाम परिलक्षित हो सकें।

3- पारम्परिक कतकरों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य लाभार्थी सौर ऊर्जा चालित चरखा क्रय करना चाहता हो तो उसके द्वारा कताई के कार्य किये जाने एंव संयत्र के पयोग के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही उसे अनुदान पर चरखा उपलब्ध करवाया जायेगा ।

4- लाभार्थी चयन जिलास्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समीति गठित कर किया जायेगा, जिसमें खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी एंव इस कार्य हेतु इच्छुक स्वंय सेवी संस्था सदस्य के रूप में नामित होगा ।

5- चयनित लाभार्थियों से उनके स्थायी निवास का प्रमाण/राशन कार्ड/वोटर कार्ड एंव खादी ग्रामोद्योग, क्षेत्रीय गॉधी आश्रम, गाम्य विकास विभाग इत्यादि में यदि कोई पंजीकरण हो तो, वह भी प्राप्त किया जाये।

6- पारम्परिक कतकरों/गैर पारम्परिक कतकरों में गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के इच्छुक लाभार्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उनकी आय उपार्जन एंव जीवन स्तर में सुधार की अधिक से अधिक सम्भावनायें हो।

7- जनपद के जिन विकास खण्डों एंव ग्रामों में ऊन/रेशम/सूत की कताई का अधिक कार्य होता हो, उन विकास खण्डो एंव अन्य विकास खण्डो को योजना का पूर्ण विवरण प्रेषित करते हुये लाभार्थियों का चयन किया जाये। समाचार पत्रों के माध्यम से भी योजना की जानकारी देते हुये प्रार्थना-पत्र आंमत्रित किये जा सकते है।

8- 10.00 रू0 के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लाभार्थी चयन से सम्बन्धित सूचनायें एंव शर्ते अन्तिम रूप से चयनित लाभार्थी से प्राप्त की जायेगी।(संलग्न लाभार्थी चयन फार्म)

9- संयत्र की कुल कीमत रू0 37,500.00 (रू0 सैंतीस हजार पॉच सौ मात्र) एंव एक वर्ष की गारन्टी अवधि उपरान्त संयत्र के रखरखाव हेतु 02 वर्षीय सी0एम0सी0 की धनराशि रू0 9,500.00 (रू0 नौ हजार पॉच सौ मात्र) निर्धारित है। वर्तमान में लाभार्थी से चरखे की कीमत रू0 37,500.00 (रू0 सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की 10 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी अशंदान के रूप में प्राप्त की जायेगी तथा वर्ष 2006-07 की भॉति इस वर्ष भी 90 प्रतिशत अनुदान देय होगा। गारन्टी अवधि उपरान्त यदि लाभार्थी चरखें के रखरखाव हेतु 02 वर्ष की सी0एम0सी0 सुविधा लेने हेतु इच्छुक होगा तो उसे विभागीय नियमानुसार सी0एम0सी0 अशंदान की धनराशि स्वंय वहन करनी होगी ।

10- यदि किसी परियोजना पर पूर्व में चयनित लाभार्थियों से अशंदान/अग्रिम जमा करवाया गया हो तो उन लाभार्थियों को चयन सूची में सम्मिलित किया जायेगा एंव अवशेष धनराशि जमा करवाई जायेगी अथवा अधिक जमा की गई धनराशि लौटा दी जायेगी, यदि किसी लाभार्थी द्वारा निश्चित अवधि में अग्रिम बुकिंग धनराशि के अतिरिक्त अवशेष लाभार्थी अशंदान जमा नही करवाया जाता है तो अग्रिम बुंकिग की राशि उसे वापिस कर दी जाये।

11- आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा लाभार्थियों को प्रशिक्षण जनपद में खादी ग्रामोद्योग/चरखा कताई-बुनाई हेतु कार्यरत स्वंय सेवी संस्था के समन्वय से करवाया जाये। इस हेतु वरि0परि0अधि0/परि0अधि0/प्रभारी द्वारा आपूर्तिकर्ता फर्म एंव स्वंय सेवी संस्था के साथ समन्वय कर कार्यक्रम आयोजित करवाया जायेगा ।

<u>अनुदान कार्यक्रम में सोलर चरखें हेतु आवेदन पत्र/शपथ पत्र</u>

संयत्र का नाम : सोलर चरखा
संयत्र की क्षमता : सिंगल स्पिडल 74 वाट
वित्तीय वर्ष : .....
विकास खण्ड : .....

सेवा में,

वरि0परि0अधि0/परि0अधि0/प्रभारी,
जनपद....----------

महोदय,

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... ग्राम.....पोस्ट ..... पटटी..... विकास खण्ड.....जनपद..... का मूल निवासी ह। निवास स्थान की सत्यता हेतु मैं अपना राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/निवास प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न कर रहा ह, जो कि मूल रूप में पहचान की सत्यता के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं .....वर्ष से कताई का कार्य कर रहा ह । संयत्र सम्बन्धी सभी विभागीय नियम व शर्ते मुझे सहर्ष मान्य है। परियोजना कार्यालय से ग्राम तक चरखे के परिवहन को मेरे द्वारा वहन किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि एक सैट सोलर चरखा (74 वाट) मेरे निवास पर स्थापित कराने की कृपा करें। मैं सोलर चरखा संयत्र हेतु प्रथम बार आवेदन कर रहा ह । संयत्र प्राप्त होने के उपरान्त यदि कभी जाँच में मेरे पास सोलर चरखा नही पाया गया तो मेरे द्वारा जमा किये जाने वाले सम्पूर्ण लाभार्थी अशंदान को जब्त करते हुये शासन/उरेडा द्वारा अनुमन्य की गई/उपलब्ध कराई गई अनुदान राशि मुझसे भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल कर ली जाय, जिस पर मुझे कोई एतराज नही होगा ।

आवेदन का दिनांक ..... हस्ताक्षर

लाभार्थी .....

ग्राम प्रधान का प्रमाण-पत्र

लाभार्थी का
पासपोर्ट आकार
का फोटो

1- उक्त लाभार्थी के सम्बन्ध में निम्न तथ्य प्रमाणित किये जाते है।

2- श्री/श्रीमती .....मेरी ग्राम सभा .....के

3- ग्राम ..... के मूल निवासी है ।

4- यह पारम्परिक कतकर है। इनके द्वारा पूर्व में सोलर चरखा प्राप्त नही किया गया है।

5- लाभार्थी द्वारा दी गई समस्त सूचनायें, लाभार्थी के हस्ताक्षर प्रमाणित किये जाते है।

6- अभ्यर्थी का नाम ग्राम सभा रजिस्टर के क्रंमाक ..... पर दर्ज है।

हस्ताक्षर ग्राम प्रधान

जनपद .....में थर्मल बायोमास गैसीफायर संयत्र हेतु चयनित लाभार्थी/संस्था का विवरण

1- लाभार्थी का नाम.....पता.....

.....

2- लाभार्थी के व्यावसाय/संस्था के कार्याकलापों का संक्षिप्त विवरण.....

....

3- लाभार्थी/संस्था को गैसीफायर की आवश्यकता का कारण.....

....

4- वर्तमान में उपयोग किये जा रहे ईधन एवं उपकरणों का विवरण एवं कठिनाईयाँ.....

.....

.....

5- ईंधन की दरें (डीजल,कोयला, एल.पी.जी. इत्यादि) रू0 ...../कि.ग्रा., ली0 एवं प्रतिदिन खपत...../कि.ग्रा., ली0 पारम्परिक ईंधन पर प्रतिदिन व्यय होने वाली धनराशी रू0 .....

6- गैसीफायर की प्रस्तावित क्षमता.....कि0वा0

7- प्रस्तावित गैसीफायर से प्रतिदिन (उपयोग की अवधि में) बायोमास की खपत .....कुन्तल में

8- बायोमास, लकडी, ब्रिकेट्स तथा अन्य बायोमास की स्थानीय दरें रू0.....

9- गैसीफायर के उपयोग से प्रतिदिन बायोमास की खपत का अनुमानित व्यय रू0.....

10- (5-9) प्रतिदिन होने वाली बचत रू0.....

11- स्थानीय रूप से बायोमास की उपलब्धता एवं दरों का विवरण (साक्ष्यों सहित)..... ....तथा लाभार्थी से प्रमाण पत्र/सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

हस्ताक्षर, लाभार्थी हस्ताक्षर, अव0 अभि0 हस्ताक्षर, वरि0/परि0 अधि0.....

Districtwise Details of Thermal Gasifier Systems Amount Alloted in District plan 2006-07, State plan 2006-07 & State plan 2007-08

Sl.No.	Distt.	Cap.(in kW) XQuantity	Cost of systems Rs.	90 % Amount Rs.	10 % amount Rs.	District Plan Year 06-07	State Plan Year 2006-07		State Plan Year 2007-08		Total State Plan 06-07 & 07-08
							SCP	TSP	GEN	SCP	
1	Champawat	20X1	120000.00	108000.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	108000.00	0.00	0.00
		15X1	90000.00	81000.00	9000.00	81000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15X1	90000.00	81000.00	9000.00	69000.00	0.00	0.00	12000.00	0.00	0.00
	Total		**300000.00**	**270000.00**	**30000.00**	**150000.00**	**0.00**	**0.00**	**120000.00**	**0.00**	120000.00
2	Almora	10X1	**81000.00**	**72900.00**	**8100.00**	**50000.00**	**0.00**	**0.00**	**22900.00**	**0.00**	22900.00
3	Dehradun	5X1	65000.00	58500.00	6500.00	58500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10X1	81000.00	72900.00	8100.00	41500.00	0.00	0.00	31400.00	0.00	0.00
		2X1	40000.00	36000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	36000.00	0.00	0.00
		10x1	81000.00	72900.00	8100.00	0.00	51000.00	21900.00	0.00	0.00	0.00
	Total		**267000.00**	**240300.00**	**26700.00**	**100000.00**	**51000.00**	**21900.00**	**67400.00**	**0.00**	140300.00
4	Pithoragarh	10X1	**81000.00**	**72900.00**	**8100.00**	**0.00**	**0.00**	**29100.00**	**43800.00**	**0.00**	72900.00
5	Urja Park D.Dun(Demo)	10X1	**81000.00**	**81000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81000.00**	**0.00**	81000.00
6	U.S. Nagar	10X2	162000.00	145800.00	16200.00	0.00	0.00	0.00	145800.00	0.00	0.00
		10X1	81000.00	72900.00	8100.00	0.00	0.00	0.00	72900.00	0.00	0.00
	Total		**243000.00**	**218700.00**	**24300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218700.00**	**0.00**	218700.00
7	Chamoli	5X5	**325000.00**	**292500.00**	**32500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**175500.00**	**117000.00**	292500.00
8	Rudraprayag	2X4	**160000.00**	**144000.00**	**16000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144000.00**	**0.00**	144000.00
	Grand Total		**1538000.00**	**1392300.00**	**145700.00**	**300000.00**	**51000.00**	**51000.00**	**873300.00**	**117000.00**	**1092300.00**

Districtwise Targets of Thermal Biomass Gasifier for Year 2006-07 & 2007-08

SN.	District	Capacity														Total	Gen	SCP	Total Nos of Systms		
		05 kWe		10 kWe		15 kWe		20 kWe		50 kWe		100 kWe	125 kWe	150 kWe	200 kWe						
		90%	70%	90%	70%	90 %	70%	90%	70%	90%	70%										
1	Dehradun	1	1	-	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	**12**	10	2	5 kW -2 10 kw-1 15 kw-2	20 kw- 2 50 kw-1 100 kw-1	125 kw-1 150 kW-1 200 kW-1
2	Haridwar	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	**10**	8	2	5 kw-1 15 kW-2 20 kW-1	50 kw- 2 100 kW-1	126 kw-1 150 kW-1 200 kW-1
3	Tehri	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**	2	-	5 kW-1 10 kW- 1		
4	Pauri			-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	1	-	15 kW-1		
5	Chamoli	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	1	-	10 kW- 1		
6	Uttarakashi	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	1	-	10 kw- 1		
7	Rudraprayag	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	1	-	10 kW -1		
8	U.S. Nagar	-	1	-	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	**13**	9	4	5 kw-1 10 kW-1 15 kW-2	20 kW-3 50 kw- 2 100 kW-1	126 kw-1 150 kW-1 200 kW-1
9	Almora	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3**	2	1	5 kW-1 10 kW- 1 15 kW -1		
10	Nainital	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**	2	-	5 kW- 1 10 kW -1		
11	Champawat	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	**4**	3	1	10 kW- 1 15 kW-2 20 kW- 1		
12	Bageshwar	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	1	-	5 kW- 1		
13	Pithoragarh	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**	1	1	10 kW -1 15 kW -1		
Total		**5**	**3**	**8**	**2**	**8**	**3**	**5**	**2**	**3**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**	**53**	**42**	**11**	**-**		

उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)

लघु जल विद्युत परियोजना कर्मी-3 क्षमता 2X25 कि0वा0 की स्थापना, कमीशनिंग एवं प्रशिक्षण आदि कार्यों हेतु अतिरिक्त त्रिपक्षीय अनुबन्ध

यह अतिरिक्त त्रिपक्षीय अनुबंध पूर्व में कर्मी-3 लघु जल विद्युत परियोजना, क्षमता 2X25 कि0वा0 क स्थल चयन, नियोजन, निर्माण, कमीशनिंग एवं प्रशिक्षण आदि कार्यो के सम्पादन हेतु दिनांक 9 दिसम्बर, 2005 को किए गए त्रिपक्षीय अनुबंध में निम्नानुसार परिवर्तन करने एवं पुष्टि करने के लिए दिनांक ..... को हस्ताक्षरित किया गया:-

क्र. स.	मूल अनुबंध में पूर्व निर्धारित शर्त		संशोधित शर्त	
1-	(ड) पूंजी लागत योगदान 1. अनुबंध की सम्पूर्ण धनराशि का विवरण निम्नवत होगा:-		(ड) पूंजी लागत योगदान 1. अनुबंध की सम्पूर्ण धनराशि का विवरण निम्नवत होगा:-	
	क. डी0पी0आर0 में निर्धारित की गयी परियोजना लागत (डी0पी0आर0 में उल्लिखित समस्त निर्माण सलंग्नक-1 के अनुसार)	**9400532.00**	क. शासन द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत समस्त निर्माण कार्यों हेतु (संशोधित सलंग्नक-1 के अनुसार)	**9322052.00**
	ख. तकनीकी सुपरविजन, गुणवत्ता निरीक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यों पर व्यय (संलग्नक-2 के अनुसार)	**187340.00**	ख. तकनीकी सुपरविजन, गुणवत्ता निरीक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यों पर व्यय (संलग्नक-2 के अनुसार)	**187340.00**
	ग. परियोजना के निर्माण हेतु लाभार्थी संस्था को तकनीकी कार्यों के सम्पादन तथा प्रशासनिक कार्यों हेतु व्यय (संलग्नक-3 के अनुसार)	**94000.00**	ग. परियोजना के निर्माण हेतु लाभार्थी संस्था को तकनीकी कार्यों के सम्पादन तथा प्रशासनिक कार्यों हेतु व्यय (संलग्नक-3 के अनुसार)	**94000.00**
	कुल योग	**9681872.00**	कुल योग	**9603392.00**
	2. कुल अनुबन्ध की धनराशि में लाभार्थी संस्था तथा उरेडा का योगदान निम्नवत होगा:-			
	उरेडा योगदान (संलग्नक ख एवं ग लागत को सम्मिलित करते हुए)	**8741819.00**	उरेडा योगदान (संलग्नक ख एवं ग लागत को सम्मिलित करते हुए)	**8671187.00**
	लाभार्थी संस्था का योगदान (डी0पी0आर0 में निर्माण कार्यों के सापेक्ष प्रस्तावित व्यय की 10 प्रतिशत धनराशि)	**940053.00**	लाभार्थी संस्था का योगदान (शासन द्वारा निर्माण कार्यों के सापेक्ष अनुमोदित व्यय की 10 प्रतिशत धनराशि)	**932205.00**

नोटः निर्माण कार्यों की वास्तविक लागत/विवरण सम्बन्धी सामग्री/संरचनाओं के क्रय/ निर्माण पर कोटेशन/टैण्डर के आधार पर आंकलित धनराशि के अनुसार मान्य होगी।

उपरोक्त परिवर्तनों के अतिरिक्त शेष शर्तें पूर्व में हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय अनुबंध के अनुसार ही मान्य होगी।

लाभार्थी संस्था **का अधिकृत हस्ताक्षरी**	**सहयोगी संस्था** **का अधिकृत हस्ताक्षरी**	**उरेडा** **का अधिकृत हस्ताक्षरी**
गांव	नाम.....	नाम .....
गाँव/ पोस्ट	पदनाम.....	पदनाम.....
जनपद	पता	पता .....
दिनांक	दिनांक.	दिनांक .....
गवाहः 1.	1.	1. .....

उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)

लघु जल विद्युत परियोजना कर्मी-3 क्षमता 2X25 कि0वा0 की स्थापना, कमीशनिंग एवं प्रशिक्षण आदि कार्यों हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध

(क) प्रस्तावनाः

1- अनुबन्ध के पक्षकारः यह (अ) कर्मी-3 ऊर्जा समिति, ग्राम व पोस्ट कर्मी, तहसील कपकोट, विकासखण्ड कपकोट, जनपद बागेश्वर, जिसे आगे लाभार्थी संस्था कहा जायेगा (ब) वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र, आई0आई0टी0, रूडकी, जिसे आगे सहयोगी संस्था कहा जायेगा और (स) उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा), जिसे आगे उरेडा कहा जायेगा, के बीच अनुबन्ध को पुष्ट करने के लिए है।

2- कार्यक्षेत्रः इस अनुबन्ध के अन्तर्गत सभी पक्षकार प्रस्तुत अनुबन्ध, उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु विकासखण्ड कपकोट, जनपद बागेश्वर में **2X25** कि**0**वा**0** क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजना के स्थल चयन**,** नियोजन**,** निर्माण**,** कमिशनिंग एवं प्रशिक्षण आदि कार्यों का सम्पादन कराने तथा परियोजना के संचालन एवं रख-रखाव करने के लिए सहमत हैं।

3- अनुबन्ध की अवधि तथा प्रभावी तिथिः लाभार्थी संस्था एवं सहयोगी संस्था प्रभावी तिथि से तुरन्त कार्य प्रारम्भ करेगी / अनुबन्ध के अधीन समस्त कार्य प्रभावी तिथि से **15** माह के अन्दर पूर्ण किए जायेंगें। यह अनुबंध दिनांक **09.12.2005** से प्रभावी होगा।

(ख) लाभार्थी संस्था के निवेश एवं उत्तरदायित्व

1- लाभार्थी संस्था **2X25** कि**0**वा**0** क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजना का नियोजन**,** निर्माण**,** स्थापना/कमिशनिंग से सम्बन्धित सभी कार्यों को निर्धारित समय अवधि के अनुसार पूर्ण करने हेतु उत्तरदायी होगी।

2- लाभार्थी संस्था द्वारा अपने ग्रामवासियों (उपभोगताओं) के सहयोग से कुल परियोजना पजी लागत की कम से कम **10** प्रतिशत धनराशि नगद/श्रमदान के रूप में वहन करनी होगी।

3- लाभार्थी संस्था द्वारा परियोजना के निर्माण हेतु सामग्री क्रय**,** भण्डारण तथा उपभोग के सम्बन्ध में पृथक से अभिलेख (बाउचर फाईल**,** कैश बुक**,** लेजर**,** स्टोर बुक**,** मस्टरोल रजिस्टर**,** गुणवत्ता परीक्षण रजिस्टर**,** लाभार्थी अंशदान रजिस्टर**,** बैंक खाता पासबुक एवं चैकबुक आदि) माप पुस्तिका (एम**0**बी**0)** रखे जायेंगे तथा इन अभिलेखों को समय-**2** पर भरा जायेगा तथा सभी अभिलेखों को सुरक्षित रूप से रखते हुए उरेडा एवं सहयोगी संस्था को निरीक्षण के समय उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होगी।

4- लघु जल विद्युत परियोजना के नियोजन**,** निर्माण**,** स्थापना/ कमिशनिंग हेतु प्रयुक्त होने वाली सभी सामग्री का प्रबन्ध**,** खरीद**,** भण्डारण इत्यादि लाभार्थी संस्था द्वारा निर्माता अथवा उनके अधिकृत विक्रेताओं से कोटेशन/निविदाऐं प्राप्त कर न्यूनतम दरदाता फर्म को आदेश देने से पूर्व उरेडा के परियोजना अधिकारी से तकनीकी विशिष्टियों का परीक्षण कराकर दरों को स्वीकृत कराया जायेंगा। इस हेतु सामग्री क्रय/संरचनाओं के निर्माण हेतु

कोटेशन प्रपत्र/निविदा प्रपत्र/फर्मो के साथ किये जाने वाले अनुबन्ध प्रपत्र आदि उरेडा के वरिष्ठ/परियोजना अधिकारी द्वारा तैयार कर लाभार्थी संस्था को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

5- लाभार्थी संस्था द्वारा लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता सहयोगी संस्था द्वारा तैयार की गयी डी**0**पी**0**आर**0** में निर्धारित विशिष्टियों एवं मापदण्डों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

6- लाभार्थी संस्था द्वारा लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण उपरान्त परियोजना की विभिन्न संरचनाओं को दैवीय आपदा से क्षति होने पर पुनः निर्माण किये जाने के लिये सभी संरचनाओं का बीमा अपने संशाधनों से कराया जायेगा।

7- लाभार्थी संस्था द्वारा ऊर्जा समिति के सदस्यों**,** आपरेटर आदि को निर्माण कार्यों/संचालन**,** रख-रखाव के लिए प्रशिक्षित किए जाने हेतु सहयोगी संस्था **(**ए**0**एच**0**ई**0**सी**0)** के पास भेजा जायेगा।

8- लाभार्थी संस्था द्वारा परियोजना के निर्माण कार्यों हेतु एक ऊर्जा समिति का गठन कर पंजीकरण कराया जाएगा । इस समिति में कम से कम **7** सदस्य होंगे। समिति द्वारा अपने बायलॉज (मॉडल बायलाँज उरेडा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा) तैयार किए जाएगें जिसमें विभिन्न कार्यों को सम्पादित कराने का दायित्व विभिन्न सदस्यों को दिए जाने**,** लाभार्थी/उपभोगताओं से पजी लागत के सापेक्ष अंशदान/श्रमदान एकत्र करने**,** डी**0**पी**0**आर**0** के अनुसार कार्यों को पूर्ण कराने**,** विद्युत शुल्क का निर्धारण**,** विद्युत शुल्क की वसूली**,** आपरेटर की नियुक्ति**,** परियोजना के संचालन एवं रख-रखाव तथा समस्त आय-व्यय ब्योरा रखने सम्बन्धी विवरण सम्मिलित होगें ।

9- लाभार्थी संस्था द्वारा परियोजना के निर्माण कार्यों के लिए पृथक से एक सेविंग बक खाता **"**कर्मी**-3** लघु जल विद्युत परियोजना-उरेडा**"** के नाम से खोला जाएगा जिसका संचालन ऊर्जा समिति के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष/सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

10- लाभार्थी संस्था द्वारा निर्माण कार्यों के लिए बैंक से आहरित की जाने वाली नगद धनराशि एक समय में रू**0 10,000/-** से अधिक नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में अधिक नगद धनराशि बैंक से आहरित किए जाने से पूर्व वरिष्ठ/परियोजना अधिकारी/प्रभारी**,** उरेडा**,** बागेश्वर से लिखित सहमति प्राप्त की जायेगी।

(ग) सहयोगी संस्था के निवेश एवं उत्तरदायित्व

1- सहयोगी संस्था, लाभार्थी संस्था को लघु जल विद्युत परियोजना के स्थल का चयन, सर्वेक्षण एवं स्थल पर एलाइनमैन्ट/ले-आउट तथा परियोजना के निर्माण हेतु सामग्री की विशिष्टियाँ तैयार करने, स्थापना, कमिशनिंग तथा संचालन एवं रख-रखाव तथा तकनीकी मार्गदर्शन देने तथा परियोजना के संचालन हेतु प्रशिक्षण देने हेतु उत्तरदायी होगी ।

2- सहयोगी संस्था द्वारा लाभार्थी संस्था से परियोजना की कुल लागत की 10 प्रतिशत धनराशि को नगद अथवा श्रम के रूप में जमा कराने तथा उक्त धनराशि के व्यय का विवरण तैयार करने हेतु सहयोग दिया जायेगा।

3- परियोजना के सिविल, ई0एण्डएम0 तथा टी0एण्डडी0 कार्यों के लिए विशेषज्ञों की सेवाऐं आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेंगी तथा विभिन्न संरचनाओं के निर्माण हेतु ड्रांईग एवं डिजाइन तैयार कर लाभार्थी संस्था को समय-2 पर उपलब्ध करायी जायेंगी। इस सेवा के सापेक्ष सहयोगी संस्था को उरेडा द्वारा अनुबंध में निर्धारित धनराशि दी जाएगी।

4- सहयोगी संस्था विभिन्न प्रकार की मशीनों यथा टरबाईन, जनरेटर, ई0एल0सी0, ट्रांसफार्मर इत्यादि की विशिष्टियां एवं उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा अपव्यय को रोकने हेतु लाभार्थी संस्था का सहयोग करेगी।

5- सहयोगी संस्था द्वारा समय-समय पर परियोजना के निर्माण सम्बन्धी प्रगति रिपोर्ट तथा कार्यों की प्रगति/गुणवत्ता का निरीक्षण तथा तकनीकी सहयोग हेतु तकनीकी विशेषज्ञों को निर्माण अवधि के दौरान परियोजना स्थल का कम से कम 5 बार भेजा जाएगा तथा लाभार्थी संस्था को विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ण तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा।

6- सहयोगी संस्था द्वारा लाभार्थी संस्था के सदस्यों तथा आपरेटर आदि (8 व्यक्तियों) को परियोजना के निर्माणकार्यों तथा संचालन एवं रख-रखाव हेतु निर्माण अवधि के दौरान 2 बार 4 दिवसीय प्रशिक्षण ए0एच0ई0सी0, रूडकी में प्रदान किया जायेगा। इस हेतु अनुबंध के अनुसार निर्धारित धनराशि उरेडा द्वारा भुगतान की जायेगी। (यह व्यवस्था उत्तरांचल शासन एवं ए0एच0ई0सी0 के मध्य हुए एम0ओ0यू0 में वर्णित व्यवस्था के अतिरिक्त होगी)

7- सहयोगी संस्था द्वारा निर्माणकार्य पूर्ण होने पर परियोजना की कमीशनिंग तथा टैस्टिंग का कार्य अपनी विशेषज्ञ टीम के माध्यम से कराया जायेगा तथा परियोजना की कम्पलीशन रिपोर्ट एवं संचालन/रख-रखाव मैनुअल तैयार कर लाभार्थी संस्था एवं उरेडा को उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु अनुबंध के अनुसार निर्धारित धनराशि उरेडा द्वारा भुगतान की जायेगी।

8- कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में सहयोगी संस्था द्वारा अनुबंध में उल्लेखित भुगतान शर्तों के अनुसार प्रथम किश्त के उपरान्त दूसरी किश्त (एवं तद्नुसार आगामी किश्तों हेतु भी) निर्गत करने से पूर्व रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी जिसके आधार पर उरेडा द्वारा लाभार्थी संस्था को अगली किश्त का भुगतान निर्गत किया जायेगा।

9- परियोजना के निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की गुणवत्ता की कमी, सामग्री का दुरूपयोग, धनराशि का दुरूपयोग होने की दशा में सहयोगी संस्था द्वारा वरिष्ठ/परियोजना अधिकारी/प्रभारी, उरेडा बागेश्वर एवं उरेडा मुख्यालय को तत्काल सूचित किया जायेगा ताकि किसी प्रकार की अनियमिता को रोकने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

(घ) उरेडा के निवेश एवं उत्तरदायित्व

1- उरेडा, निर्धारित शर्तों/ कार्यों के पूर्ण होने की स्थिति में डी0पी0आर0/अनुबंध में उल्लेखित दरों तथा टेण्डर में अनुमोदित दरों के अनुसार देय धनराशि का भुगतान लाभार्थी संस्था को समय से करने हेतु उत्तरदायी होगा ।

2- परियोजना के निर्माण के दौरान नियमित रूप से कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण तथा डी0पी0आर0 की विशिष्टियों के अनुरूप लाभार्थी संस्था से कार्य पूर्ण कराने हेतु वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी/प्रभारी, उरेडा बागेश्वर पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। लाभार्थी संस्था द्वारा सामग्री क्रय/कार्यादेश निर्गत करने हेतु निर्धारित कोटेशन/टैण्डर आदि की कार्यवाही कराने में वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी/प्रभारी पूर्ण उत्तरदायी होंगे।

3- उरेडा द्वारा परियोजना के नियोजन से कमीशनिंग तक की अवधि में लाभार्थी संस्था को तकनीकी सहयोग दिए जाने के लिए एक अवर अभियन्ता की अनुबंध पर सेवाऐं लेकर (अधिकतम 8 मानव माह हेतु) उपलब्ध करायी जायेंगी। इस अवर अभियन्ता को अनुमन्य मानदेय/यात्रा व्यय का भुगतान लाभार्थी संस्था द्वारा कार्यों के सत्यापन के उपरान्त उरेडा द्वारा दिया जायेगा।

4- परियोजना के निर्माण के समय लाभार्थी संस्था एवं सहयोगी संस्था से सामंजस्य रखने हेतु उरेडा परियोजना कार्यालय, बागेश्वर के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी/प्रभारी उत्तरदायी होगें।

5- परियोजना की स्थापना/कमिशनिंग तथा प्रशिक्षण आदि के लिए सहयोगी संस्था से सम्पर्क कर ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार कराने, लाभार्थी संस्था को प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित करने हेतु उत्तरदायी होगा।

6- उरेडा परियोजना कार्यालय बागेश्वर द्वारा लाभार्थी संस्था को सामग्री क्रय, भण्डारण तथा उपभोग के सम्बन्ध में पृथक से अभिलेख रखने, बाउचर फाईल, कैश बुक, लेजर, स्टोर बुक, मस्टरोल रजिस्टर, गुणवत्ता परीक्षण रजिस्टर, लाभार्थी अंशदान रजिस्टर, बैंक खाता पासबुक एवं चैकबुक आदि को समय-2 पर भरने, अपडेट करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उक्त अभिलेखों को पूर्ण कराने हेतु सहयोग दिया जायेगा।

7- लाभार्थी संस्था को परियोजना के नियोजन, निर्माण, संचालन एवं रख-रखाव हेतु अभिलेख तैयार करने के लिए वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी/प्रभारी, उरेडा, बागेश्वर द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाएगा तथा लाभार्थी संस्था के खाते का प्रत्येक माह में व्यय का ब्यौरा प्राप्त करने हेतु लेखा सहायक की समय-समय पर सेवाऐं उपलब्ध करायी जाएगी।

8- परियोजना के निर्माण कार्यों हेतु सामग्री खरीद, लेबर भुगतान, यात्रा व्यय इत्यादि पर किए गए व्यय का प्रत्येक 3 माह में चार्टेड एकाउन्टैन्ट की सेवाऐं प्राप्त कर आडिट कराने का उत्तरदायित्व वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी/प्रभारी, उरेडा, बागेश्वर का होगा।

9- सहयोगी संस्था को उनके उत्तरदायित्व का निवर्हन संतोषजनक रूप से किए जाने पर भुगतान शर्तों के अनुरूप निर्धारित धनराशि का भुगतान सम्बन्धित वरिष्ठ/परियोजना अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

10- परियोजना के निर्माण कार्यों के लिए लाभार्थी संस्था द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, कीमत एवं तकनीकी विशिष्टियों के सम्बन्ध में वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी/प्रभारी, बागेश्वर द्वारा तकनीकी रूप से परीक्षण कर संस्तुति दी जायेगी।

11- परियोजना के निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की गुणवत्ता की कमी, सामग्री का दुरूपयोग, धनराशि का दुरूपयोग होने की दशा में वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी/प्रभारी, उरेडा बागेश्वर द्वारा लाभार्थी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार धनराशि वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

12- परियोजना का निर्माण निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने हेतु वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी/प्रभारी, उरेडा बागेश्वर उत्तरदायी होंगे। विषम परिस्थितियों (दैवीय आपदा, बाढ, आग, भूस्खलन, सामग्री की अनउपलब्धता, हडताल आदि) में वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी/प्रभारी, उरेडा बागेश्वर द्वारा अनुबंध अवधि को उरेडा मुख्यालय की सहमति के उपरान्त बढाया जा सकेगा।

(ड) पजी लागत योगदान

1. अनुबन्ध की सम्पूर्ण धनराशि का विवरण निम्नवत होगा।

क. डी0पी0आर0 में निर्धारित की गयी परियोजना लागत (डी0पी0आर0 में उल्लिखित समस्त निर्माण सलंग्नक-1 के अनुसार)	:	रू0 9400532.00
ख. तकनीकी सुपरविजन, गुणवत्ता निरीक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यों पर व्यय (संलग्नक-2 के अनुसार)	:	रू0 187340.00

ग. परियोजना के निर्माण हेतु लाभार्थी संस्था को
तकनीकी कार्यों के सम्पादन तथा प्रशासनिक कार्यों
हेतु व्यय (संलग्नक-3 के अनुसार) : रू0 94000.00

कुल योग : रू0 9681872.00

2. कुल अनुबन्ध की धनराशि में लाभार्थी संस्था तथा उरेडा का योगदान निम्नवत होगाः-

उरेडा योगदान (संलग्नक ख एवं ग लागत को सम्मिलित करते हुए) : रू0 8741819.00

लाभार्थी संस्था का योगदान : रू0 940053.00

(डी0पी0आर0 में निर्माण कार्यों के सापेक्ष
प्रस्तावित व्यय की 10 प्रतिशत धनराशि)

(नोटः निर्माण कार्यों की वास्तविक लागत/विवरण विभिन्न सामग्री/संरचनाओं के क्रय/निर्माण पर कोटेशन/टैण्डर के आधार पर आंकलित धनराशि के अनुसार मान्य होगी।)

(च) उरेडा द्वारा किये जाने वाले भुगतान के प्रकारः

(नोटः निर्माण कार्यों की वास्तविक लागत/विवरण विभिन्न सामग्री/संरचनाओं के क्रय/निर्माण पर कोटेशन/टैण्डर के आधार पर आंकलित धनराशि के अनुसार मान्य होगी।)

- उरेडा द्वारा लाभार्थी संस्था एवं सहयोगी संस्था को निम्नानुसार धनराशि का भुगतान किया जायेगा :-

क्र.सं.	कार्यों का विवरण/भुगतान की शर्तें	लाभार्थी संस्था	सहयोगी संस्था
1-	त्रिपक्षीय अनुबन्ध हस्ताक्षरित होने, स्थल चयन, तथा भूमि हस्तान्तरण होने पर सिविल कार्य की धनराशि के सापेक्ष	उरेडा योगदान लागत (सिविल कार्य) की 10 प्रतिशत धनराशि	-
2-	स्थल चयन, प्रत्येक अवयव हेतु डिमार्केशन, ड्रांईग एवं डिजाइन के सापेक्ष	-	सहयोगी संस्था को दी जाने वाली धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि
3-	सिविल कार्य में लागत एवं कार्य के अनुसार प्रत्येक अवयव के सापेक्ष माप के अनुसार भुगतान के सापेक्ष	उरेडा योगदान लागत (सिविल कार्य) की 90 प्रतिशत धनराशि	-
4-	ई0एण्डएम0 एवं टी0एण्डडी0 कार्यों की विशिष्टियां, ले-आउट एवं सम्बन्धित गाईडलाईन पर	-	सहयोगी संस्था को दी जाने वाली धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि
5-	ई0एण्डएम0 एवं टी0एण्डडी0 कार्यों के कार्यादेश दिए जाने	उरेडा योगदान	

	पर सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को बैंक गारन्टी के सापेक्ष अग्रिम भुगतान हेतु	(ई0एण्डएम0 एवं टी0एण्डडी0) लागत की 25 प्रतिशत धनराशि	
6-	ई0एण्डएम0 सामग्री परियोजना स्थल पर आपूर्ति के सापेक्ष	उरेडा योगदान (ई0एण्डएम0) लागत की 45 प्रतिशत धनराशि	
7-	ई0एण्डएम0 कार्यों की स्थापना एवं परीक्षण उपरान्त (इस दशा में फर्म द्वारा दी गयी बैंक गारन्टी भी अवमुक्त की जायेंगी)	उरेडा योगदान (ई0एण्डएम0) लागत की 20 प्रतिशत धनराशि	सहयोगी संस्था को दी जाने वाली धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि
8-	ई0एण्ड0एम0 स्थापना एवं परीक्षण के एक वर्ष के सफल संचालन उपरान्त (यह धनराशि 15 माह की अवधि की बैंक गारन्टी के सापेक्ष अवमुक्त की जा सकती है)	उरेडा योगदान (ई0एण्डएम0) लागत की 10 प्रतिशत धनराशि	
9-	टी0एण्डडी0 सामग्री के रोड हैड तक आपूर्ति के सापेक्ष	उरेडा योगदान (टी0एण्डडी0) लागत की 35 प्रतिशत धनराशि	
10-	टी0एण्डडी0 कार्यों की स्थापना एवं कमीशनिंग के सापेक्ष	उरेडा योगदान (टी0एण्डडी0) लागत की 30 प्रतिशत धनराशि	
11-	टी0एण्डडी0 लाईन के 1 वर्ष तक सफल संचालन के सापेक्ष (यह धनराशि 15 माह की अवधि की बैंक गारन्टी के सापेक्ष अवमुक्त की जा सकती है)	उरेडा योगदान (टी0एण्डडी0) लागत की 10 प्रतिशत धनराशि	
12-	सहयोगी संस्था द्वारा परियोजना की कमीशनिंग एवं टैस्टिंग पूर्ण कराने लाभार्थी संस्था को संचालन एवं रख-रखाव हेतु समुचित तकनीकी प्रशिक्षण देने तथा परियोजना की कमीशनिंग रिपोर्ट उपलब्ध कराने के उपरान्त	-	सहयोगी संस्था को दी जाने वाली धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि

(छ) कर

लाभार्थी संस्था और सहयोगी संस्था अनुपालनीय कानूनों के तहत समस्त करों, महसूलों, शुल्कों, उगाहियों व अन्य थोपे गये करों का भुगतान करने के लिए जिम्मेवार होंगे।

(ज) अनुबन्ध का समापन

- लाभार्थी संस्था अथवा सहयोगी सस्था द्वारा अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्यों में किसी प्रकार की कमी किए जाने, धनराशि का दुरूपयोग करने, सामग्री की गुणवत्ता घटाने अथवा कार्य पूर्ण न करने पर उरेडा को यह अधिकार होगा कि उस कार्य/कार्यों के सापेक्ष भुगतान को रोक दे अथवा दी गयी समस्त धनराशि की वसूली जिला प्रशासन के माध्यम से करवा ले।

- लाभार्थी संस्था, सहयोगी संस्था और उरेडा के मध्य किसी विवाद के उत्पन्न होने पर यह मामला, सचिव ऊर्जा / अध्यक्ष, उरेडा, उत्तरांचल शासन की अनन्य मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जायेगा, जो स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि से मध्यस्थता करा सकते हैं, जो उनका अधिनिर्णय होगा, सभी पक्षकरों के लिए बंधनकारी होगा। पक्षकारों के बीच सभी विवाद देहरादून क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत रहेंगे।

(झ) हस्ताक्षर

- यह अनुबन्ध एक प्रति में तैयार किया जायेगा। इसकी मूल प्रति उरेडा परियोजना कार्यालय में रहेगी तथा प्रमाणित प्रति क्रमशः लाभार्थी संस्था एवं सहयोगी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

लाभार्थी संस्था का अधिकृत हस्ताक्षरी	**सहयोगी संस्था का अधिकृत हस्ताक्षरी**	**उरेडा का अधिकृत हस्ताक्षरी**
गांव	नाम.....	नाम .....
गाँव/ पोस्ट	पदनाम.....	पदनाम.....
जनपद	पता	पता .....
दिनांक	दिनांक.	दिनांक .....
गवाहः		
1.	1.	1. .....

संलग्नक-2

तकनीकी सुपरविजन, गुणवत्ता निरीक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यों पर व्यय
(सहयोगी संस्था- ए0एच0ई0सी0, रूडकी)

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	दर	धनराशि (रू0में)
1-	सर्वेक्षण एवं स्थल पर एलाइनमैन्ट/ ले-आउट का कार्य	-	-	20,000.00
2-	परियोजनाओं के निर्माण हेतु विस्तृत ड्रांईग एवं डिजाइन का कार्य (सिविल, टी0एण्डडी0 एवं ई0एण्डएम0)	-	-	40,000.00
3-	परियोजना के निर्माण हेतु तकनीकी सहयोग एवं कार्यों की गुणवत्ता निरीक्षण पर व्यय	5 विजिट	रू0 8,000/- प्रति विजिट	40,000.00
4-	ऊर्जा समिति, आपरेटर/तकनीशियनों को निर्माण कार्यों तथा परियोजना के संचालन / रख-रखाव हेतु प्रशिक्षण - 2 संख्या	8 प्रतिभागियों को 4 दिन का प्रशिक्षण	रू0 20,000/- प्रति प्रशिक्षण (प्रशिक्षणार्थियों का यात्रा व्यय सम्मिलित नह)	40,000.00
5-	परियोजना की स्थापना/कमीशनिंग तथा टैस्टिंग का कार्य	-	-	20,000.00
6-	विविध व्यय (परियोजना की कम्पलीशन रिपोर्ट, संचालन/रख-रखाव मैनुअल आदि कार्य)	-	-	10,000.00
			योग	**1,70,000.00**
			सर्विस टैक्स (10.2 प्रतिशत)	**17,340.00**
			कुल योग	**1,87,340.00**
	(रूपये एक लाख सत्तासी हजार तीन सौ चालीस मात्र)			

नोटः- सर्विस टैक्स वास्तविक रूप से देय होगा।

संलग्नक-3

परियोजना के निर्माण हेतु लाभार्थी संस्था को तकनीकी कार्यों के सम्पादन तथा प्रशासनिक कार्यों हेतु व्यय विवरण

क्र.स.	कार्य/गतिविधी का नाम	माह	दर (रू0)	धनराशि (रू0 में)
1-	सिविल कार्यों को कराने हेतु तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक अवर अभियन्ता की सेवाऐं उपलब्ध कराने पर व्यय	8 मानव माह	2X 2500/- प्रतिमाह तथा यात्रा व्यय पर रू0 1000/- प्रतिमाह की दर से	48,000.00
2-	लाभार्थी संस्था द्वारा फाईल, कैश बुक, लेजर, स्टोर बुक, मस्टरोल रजिस्टर, गुणवत्ता परीक्षण रजिस्टर, लाभार्थी अंशदान रजिस्टर, बैंक खाता पासबुक एवं चैकबुक आदि को क्रय करने पर व्यय	-	-	2,000.00
3-	ऊर्जा समिति के सदस्यों एवं आपरेटर को ए0एच0ई0सी0, रूडकी में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु की जाने वाली यात्रा एंव सामग्री क्रय करने हेतु विभिन्न फर्मों से कोटेशन प्राप्त करने/आर्डर देने एवं सामग्री स्थल तक लाने हेतु की जाने वाली यात्राओं पर यात्रा व्यय। (8 व्यक्तियों द्वारा)	प्रशिक्षण हेतु 2 बार तथा अन्य कार्यों हेतु 4 भ्रमण	रू0 4,000/- प्रति यात्रा की दर से कुल 6 यात्राओं हेतु	24,000.00
4-	ऊर्जा समिति के सदस्यों एवं आपरेटर आदि के अन्य परियोजनाओं पर क्रास विजिट हेतु की जाने वाली यात्रा पर व्यय। (8 व्यक्तियों द्वारा)	01 विजिट	10,000/- प्रति	10,000.00
5-	स्थानीय स्तर पर परियोजना हेतु किए गए व्यय तथा अभिलेखों को सुव्यवस्थित रखने तथा ऑडिट कराने के लिए चार्टेड एकाउन्टैन्ट की सेवाऐं प्राप्त किए जाने पर व्यय	1 जॉब	-	10,000.00
			कुल योग	**94,000.00**
				(रूपये चौरानवे हजार मात्र)

नोटः- उपरोक्त प्रस्तावित व्यय धनराशि में से क्रम संख्या 2,3,4 पर अंकित व्यय लाभार्थी संस्था को उरेडा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा क्रम संख्या 1 एवं 5 पर प्रस्तावित व्यय धनराशि उरेडा द्वारा स्वयं वहन की जायेगी। अवर अभियन्ता की सेवओं के सापेक्ष व्यय लाभार्थी संस्था (ऊर्जा समिति) द्वारा कार्यों के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराए जाने पर उरेडा द्वारा भुगतान दिया जायेगा।

संशोधित संलग्नक-1

शासन द्वारा अनुमोदित की गई परियोजना लागत

परियोजना का नामः कर्मी-3 लघु जल विद्युत परियोजना

क्र.सं.	कार्य का नाम	मात्रा	दर	धनराशि (रू0 में)
1-	**सिविल कार्य**			
(i)	डाईवर्जन वेयर निर्माण संलग्न विवरण एवं ड्रांईग के अनुसार	1 जाब		70000.00
(ii)	फीडर चैनल/पावर चैनल का निर्माण संलग्न विवरण एवं ड्रांईग के अनुसार	1 जाब		1909168.00
(iii)	डिसिल्टिंग कम फोरवे टैंक एवं स्केप चैनल का निर्माण संलग्न विवरण एवं ड्रांईग के अनुसार	1 जाब		361000.00
(iv)	पेनस्टॉक पाईप, एन्कर ब्लॉक एवं शेड्ल ब्लॉक का निर्माण संलग्न विवरण एवं ड्रांईग के अनुसार	1 जाब		442771.00
(v)	पावर हाउस, मशीन फाउन्डेशन एवं टेलरेस आदि का निर्माण संलग्न विवरण एवं ड्रांईग के अनुसार	1 जाब		350613.00
	योग			**3133552.00**
2-	**ई0एण्डएम0 कार्य**			
(i)	25 कि0वा0 टर्गो-इम्पल्स/क्रॉस फ्लो टरबाईन समस्त अवयवों सहित की आपूर्ति	2 संख्या		800000.00
(ii)	25 कि0वा0, 0.415 के0वी0, 03 फेज सिंक्रोनस जनरेटर की आपूर्ति	2 संख्या		400000.00
(iii)	जनरेटर/टरबाईन, कन्ट्रोल पैनल सुरक्षा, समस्त मीटरों सहित आपूर्ति	2 संख्या		500000.00
(iv)	इलैक्ट्रा ॅनिक लोड कन्ट्रोलर एवं डिजीटल गवर्नर, इलैक्ट्रा ॅनिक पैनल समस्त अवयवों सहित आपूर्ति	2 संख्या		300000.00
(v)	मेन इनलेट वॉल्व टरबाईन को आकस्मिक रूप से बंद करने हेतु आपूर्ति	2 संख्या		250000.00
(vi)	3 टन चेन पुली ब्लॉक, हैण्ड लिफ्टिंग सिस्टम, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम	1 जाब		40000.00
(vii)	पावर एण्ड कन्ट्रोल, पी0वी0सी0 केबिल, पावर हाउस की लाईटिंग, डी0सी0 बैट्री चार्जर एवं डिस्ट्रिब्यूशन बोर्ड	1 जाब		110000.00
(viii)	एल0.टी0 डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एम0सी0सी0वी0 सहित	1 जाब		40000.00

(ix)	पावर हाउस की मशीनों की अर्थिंग, जनरेटर ब्रेकर, ट्रा॓ंसफार्मर की ए0सी0बी0, सीटीज एवं सुरक्षा रिले सहित	1 जाब		100000.00
(x)	स्विचयार्ड, स्टैप-अप ट्रांसफार्मर 75 के0वी0ए0, 0.415/11 के0वी0 ओनान पुलिंग कम्पलीट अवयवों सहित	1 संख्या		75000.00
(xi)	ट्रा॓ंसफार्मर हेतु प्लिन्थ, आइसोलेटर, लाइटनिंग अरेस्टर, फ्यूज सैट 4 संख्या पोल सहित	1 जाब		65000.00
(xii)	स्थापना एवं कमीशनिंग (समस्त ई0एण्डएम0 उपकरणों की)	1 जाब		200000.00
(xiii)	मशीनों का परिवहन एवं ढुलान (समस्त ई0एण्डएम0 उपकरणों का)	1 जाब		264000.00
(xiv)	स्विचयार्ड की फैन्सिंग गैट सहित	1 जाब		50000.00
(xv)	स्विचयार्ड के अवयवों की पेन्टिंग का कार्य	1 जाब		20000.00
	योग			**3214000.00**
3-	**टी0एण्डडी0 कार्य (मात्रा के अनुसार वास्तविक भुगतान किया जायेगा)**			
(i)	11 के0वी0, 3 फेज पारेषण लाईन	4.2कि0 मी0	290000.00	1280000.00
(ii)	3 फेज, 4 वायर वितरण लाईन	2 कि0मी0	290000.00	580000.00
(iii)	1 फेज, 2 वायर वितरण लाईन	1.5कि0 मी0	160000.00	240000.00
(iv)	25 के0वी0ए0 11/0.415 पोल माउन्ट सब-स्टेशन	4 संख्या	90000.00	360000.00
	योग			**2460000.00**
4-	**अन्य कार्य**			
(i)	स्थल चयन, सर्वेक्षण (सिविल एवं विद्युत लाईन) बैंच मार्क से संदर्भित पिलरों का निर्माण कार्य इत्यादि	1 जाब		35000.00
(ii)	वन भूमि हस्तान्तरण, लीज रैन्ट, सरकारी भूमि अधिग्रहण एवं अन्य भूमि केस से सम्बन्धित कार्य	1 जाब		100000.00
(iii)	परियोजना हेतु आवश्यक टूल्स संलग्नक 4 के अनुसार	1 जाब		50000.00
(iv)	स्पेयर पार्टस समस्त ई0एण्डएम0 एवं टी0एण्डडी0 कार्यं हेतु (संलग्नक-5) के अनुसार	1 जाब		100000.00
(v)	पेयजल हेतु पावर हाउस में पाईप लाईन का निर्माण, टॉयलेट (सोकपिट एवं सैप्टिक टेंक सहित) का निर्माण	1 जाब		25000.00
(vi)	डाईवर्जन वेयर से पावर हाउस तक सर्विस मार्ग निर्माण हेतु स्थल विकास	1 जाब		70000.00
(vii)	प्राथमिक उपचार बॉक्स	1 जाब		500.00

(viii)	स्टोर किराया परियोजना स्थल पर 18 माह हेतु कम से कम 300 वर्ग फिट क्षेत्रफल रू0 3000/- प्रतिमाह की दर से	1 जाब		54000.00
(ix)	प्रशासनिक व्यय यथा कार्यालय, फर्नीचर, अतिथि व्यय परियोजना के सूचना बोर्ड (2 नं0) एवं अन्य सेवाओं	1 जाब		80000.00
	योग			**514500.00**
	महायोग (1+2+3+4)			**9322052.00**
	(रूपये तिरानवे लाख बाईस हजार बावन मात्र)			

लघु जल विद्युत योजना- उरेडा द्वारा प्रदेश के सुदरवर्ती क्षेत्रों में नदियों/गधेरों में लघुजलविद्युत योजनाऐं स्थापित की जाती हैं। प्रथम चरण म स्थल सर्वेक्षण, पिफिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाती है एवं उपयुक्त स्थल की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है। परियोजना रिपोर्ट राज्य एवं केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है। स्वीकृति एवं वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर योजना की स्थापना की जाती है। लघु जल विद्युत योजना हेतु अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निमन कार्यो हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है:-

1. विस्तृत सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यो हेतु रू**0 1.75** लाख प्रति साईट (**01** मे**0**वाट क्षमता तक)।
3.00 लाख प्रति साईट (**01** मे**0**वाट क्षमता तक)।

2. निजी**,** संयुक्त क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों द्वारा लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना पर अनुदानः

100 कि**0**वाट तक **30000/-** प्रति कि**0**वाट अथवा परियोजना लागत का **45** प्रति जो भी कम हो।

101 से **999** कि**0**वाट **30**रु- लाख एवं**21625/-** प्रति कि**0**वाट**0**।

01 मेगावाट से **5** वेगावाट तक **2.25** करोड या **37.5** लाख प्रति मेगावाट।

3. सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं कोः

100कि**0**वाट तक रू**0 60000/-** प्रति कि**0**वाट**0** अथवा परियोजना लागत की **90**प्रति शत धनराशिं जो भी कम हो।

101कि**0**वा**0**से **999** कि**0**वाट तक **60** लाख या रू**0 43250/-** प्रति कि**0**वाट अथवा **90** प्रतिशत जो भी कम हो।

1 मे**0**वाट से **25** मेगावाट **4.5** करोड या **75** लाख प्रति मेगावाट अथवा **90** प्रतिशत जो भी कम हो।

4. पुरानी लघु जल विद्युत परियोजना के पुनर्गठन/जीर्णोधार हेतु **:**

100 किलोवाट तक **30000/-** प्रतिकिलोवाट अथवा **75** प्रतिशत जो भी कम हो।

101 कि**0**वा**0** से **999**कि**0**वाट रू**0 30** लाख या रू**0 21626/-** प्रति कि**0**वाट अथवा परियोजना लागत का **75** प्रतिशत जो भी कम हो।

01 मे**0**वाट से **25** म**0**वाट तक रू**0 2.25** करोड या **37.5** लाख प्रति मेगावाट अथावा **75** प्रतिश जो भी कम हो।

5. सरकारी क्षेत्रों में स्थित लघु जल विद्रुत परियोजनाओं की क्षमता बढाने हेतुः

100 किलोवाट तक **30000/-** प्रतिकिलोवाट अथवा **75** प्रतिशत जो भी कम हो।

101 कि**0**वा**0** से **999**कि**0**वाट रू**0 30** लाख या रू**0 21626/-** प्रति कि**0**वाट अथवा परियोजना लागत का **75** प्रतिशत जो भी कम हो।

01 मे**0**वाट से **25** म**0**वाट तक रू**0 2.25** करोड या **37.5** लाख प्रति मेगावाट अथावा **75** प्रतिश जो भी कम।

अध्याय दो (भाग -2)

जन-सामान्य तक सूचनाओं एवं अभिलेखों की **पहुच**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (परिशिष्ठ -I)	1-	उरेडा के लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुचँ सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12 अक्टूबर 2005 से अस्तित्व में है।
लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी (परिशिष्ठ -II)	2	उरेडा की समस्त प्रशासनिक इकाईयों में अधिनियम की धारा - 5(1), धारा - 5(2) एवं धारा - 19(1) के अर्न्तगत क्रमश :लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों का नामांकन किया गया है।
सूचना हेतु प्राप्त अनुरोध पत्रों का पंजकरण एवं निस्तारण	3	नागरिकों से प्राप्त सूचना के अनुरोधों का पंजीकरण यथास्थिति पाशर्वांकित शासनादेश में दिये गये किसी एक प्रारूप में किया जायेगा। सहायक लोक सूचना अधिकारी स्तर पर सूचना के अनुरोध को प्राप्त करने की स्थिति में उसे लोक सूचना अधिकारी को शीघ्रता शीघ्र परन्तु विलम्बतः 05 दिन के अन्दर निर्धारित प्रारूप में अग्रेषित करेगा ।
शासनादेश सं0 146/सु0 /XXXI(3)G-/2006 दिनांक 22 मार्च, 2006 (परिशिष्ठ - II)	3-1	अनुरोधकर्ता को सूचना का अनुरोध का प्राप्ति पत्र अवेदन शुल्क की रसीद सहित दिया जायेगा। यदि अनुरोधकर्ता गरीबी रेखा से निम्न आय वर्ग का हो तो उससे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।
	3-2	अधिनियम की धारा 6 के अधीन सूचना का अनुरोध प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी यथासंभव शीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाये या तो सूचना अपलब्ध करायेगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा। यदि लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्च्य करने में असफल रहता है तो, यह समझा जायेगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है।

सूचना का अधिकार (फीस एवं लागत का विनियमन) नियम, 2005

4- अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ फीस एवं अभिलेखों की छाया प्रतियां अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु पाशर्वांकिंत अधिसूचना के अनुसार शुल्क देय होगा।

अधिसूचना ए0-266/ XXII/205-09(31) दिनांक 13 अक्टूबर, 2005 एवं संबन्धित अधिसूचना 165/मू/XXXI(13)G-2(2) दिनांक 13 मार्च 2005 (परिशिष्ठ -II)

5- यदि लोक सूचना अधिकारी के पास किसी ऐसी सूचना दिये जाने का अनुरोध प्राप्त होता है जो तीसरे पक्षकार से संबन्धित है और तीसरे पक्षकार द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, तो ऐसी दशा में लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिनों के भीतर, ऐसे तीसने पक्षकार को इस तथ्य की लिखित रूप से सूचना देगा और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित रूप में या मौखिक रूप में निवेदन करने के लिए तीसरे पक्षकार को आमंत्रित करेगा एवं सूचना के प्रकटन के बारे में कोई निर्णय करते समय तीसरे पक्षकार के उत्तर को ध्यान में रखेगा।

पर व्यक्ति सूचना

5-1 तीसरे पक्षकार को ऐसी सूचना के प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी द्वारा तीसरे पक्षकार से संबन्धित सूचना के अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् 40 दिन के भीतर इस बारे में निर्णय लिया जायेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाये या नहीं और अपने निर्णय की सूचना लिखित में तीसरे पक्षकार को भी देगा। लोक सूचना अधिकारी तीसरे पक्षकार को यह भी सूचित करेगा कि उसे निर्णय से असंतुष्ट होने पर विभागीय अपीलीय अधिकारी के यहां 30 दिन के अन्दर अपील करने का अधिकार है।

6- अपील करने वाला व्यक्ति सूचना प्राप्ति के लिए निर्धारित समय सीमा की समाप्ति की तिथि से 30 दिन के भीतर अथवा लोक सूचना अधिकारी के ओदश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। संबन्धित अपीलीय अधिकारी को यदि यह विश्वास हो जाता है कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अपीलकर्ता अपनी याचिका निर्धारित समय में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो तो वह उक्त समय सीमा के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है।

प्रथम अपील धारा 19(1)

6-1 लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 11 के अर्न्तगत यदि तीसरे पक्ष से संबन्धित सूचना अनुरोधकर्ता को देने के संबन्ध में निर्णय दिया गया है तो इस आदेश से प्रभावित तीसरा पक्ष, आदेश की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभागीय अपीलीय अधिकारी के यहाँ अपील कर सकता है।

6-2 विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील का निस्तारण, याचिका की तिथि से 30 दिनों के अन्दर किया जायेगा।

उत्तरांचल सूचना आयोग परिपत्र सं0 65/उ.सू.आ./मु.सू.आ./2005 दिनक 06 दिसम्बर, 2005 (परिशिष्ठ - VI)

7- अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के अधीन उरेडा की सभी इकाईयाँ जो लोक प्राधिकारी घोषित हैं, के द्वारा 17 बिन्दुओं पर सूचनायें संकलित कर प्रत्येक बिन्दु पर मैनुअल बनाये जायेंगे। उक्त सभी मैनुअल पर सी.डी. तैयार कर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को उपलब्ध करायी जायेगी। विभाग के प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर उक्त मैनुअल की हार्ड प्रति एवं साफ्ट प्रति उपलब्ध रहेगी।

7-1 उक्त मैनुअल यथास्थिति प्रत्येक वर्ष के अन्त में अद्यावधिक किये जायेंगे तथा मैनुअल सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत जन साधारण के अवलोकनार्थ बराबर उपलबध रहेंगे।

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

8- सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 25(3) के अधीन उपबन्ध (क) से (ङ) के संबन्ध में 5 बिन्दुओं पर उरेडा के लोक सूचना प्राधिकारी इकाई मासिक प्रगति प्रतिवेदन अपने उच्च लोक प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे। उरेडा के मुख्यालय स्तर से ऐसे प्राप्त प्रतिवेदन को संकलित कर उत्तराचल सूचना आयोग को प्रत्येक माह दसवीं तारीख तक प्रेषित किया जाना होगा।

8-1 सूचना आयोग इन मासिक प्रगति प्रतिवेदन का उपयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में करेगा।

सूचना पट्टों को प्रदर्शित करना

9- जन सामान्य की सुविधा हेतु लोक प्राधिकारी स्तर पर अपने कार्यालय के प्रमुख स्थान पर नामित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के नाम पदनाम तथा दूरभाष नम्बर प्रदर्शित करते हुए सूचना पट्ट लागाये जायेंगे।

लोक प्राधिकारियों द्वारा आयोग स्तर से प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों पर कार्यवाही

10- आयोग में धारा 18 (1) के अधीन प्राप्त शिकायतों एवं धारा 19(3) के अर्न्तगत प्राप्त दूसरी अपील पर लोक प्राधिकारी को जारी नोटिस को लोक प्राधिकारी स्तर पर एक प्रथक पंजिका में दर्ज किया जायेगा। इस पंजिका में प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों पर लोक प्राधिकारी स्तर पर समय-समय पर की गई कार्यवाही का दिनांक सहित अंकन किया जायेगा।

द्वितीय अपील

11- अधिनियम की धारा 19(3) में राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपील दायर करने हेतु राजय सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम, 2005 का पालन किया जायेगा।

राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम, 2005
अधिसूचना सं0 305/XXII/ 2005-9(33)2005
दिनांक 13 दिसम्बर, 05
(परिशिष्ट – VII)